हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, (तपोवन) धर्मशाला -176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

21.11.2026/1100/AT/AS /01

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल जो आपने कहा था कि आप आज व्यवस्था देंगे, तो हम चाहते हैं कि आज आप वो व्यवस्था दें।

अध्यक्षः प्रश्नकाल के बाद...(व्यवधान) फिर वो इसी में चला जाएगा. वो है. एक-एक मिनट...(व्यवधान). क्योंकि कल मुझे यहां बैठना पड़ा।एक मिनट बैठो तो सही ...(व्यवधान) और उसके बाद इमीडिएटली होटल आना पड़ा Because, as you know, the time has much well. और मैंने ब्रेकफास्ट भी ऑफिस में आकर ही किया है। अभी मैं every day work को ही देख रहा हूं। बाकी जो मैंने बोला है, I stand by that. तो उसको देखूंगा. अब इसमें कोई अमरजेंसी तो है नहीं। इसमें विपक्ष का भी व्यू-प्वाइंट चला गया जिसके बारे अखबारों में काफी आ गया अगर माननीय राजस्व मंत्री जी का व्यू-प्वाइंट आया है तो आपका भी आया है। आज शीतकालीन सत्र का अंतिक दिन है इसलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस सत्र का समापन हो तो अच्छा रहेगा नहीं तो सत्र साइने-डाई की जगह में प्रोरोग करना पड़ेगा. Therefore, I request you all please bare with me and let's start the Question Hour.

Question number- 4055

Shri Lokender Kumar : You don't want to ask any supplementary. Okay you are satisfied with the answer.

प्रश्न संख्या 4743

श्री ब्रिकम सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शुरू में ही लगा दिया गया है जिसके कारण मैं अभी इसका उत्तर पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया हूं।

Speaker : Shri Kewal Singh Pathania ji, any supplementary you want to ask?

श्री टी0सी0वी0द्वारा जारी....

21.11.2026/1105/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्याः 4743

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उप-मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से दिया है। मैंने यह प्रश्न इसलिए किया था क्योंकि पहले बजट में इलेक्ट्रिकल बसों की बात हुई थी। जब बजट सत्र में इसकी अनाउंसमैंट हुई थी तो ऐसा लगता था कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और हो सकता है कि यहां इलेक्ट्रिकल बसें कामयाब न हों। लेकिन विभाग ने इस विषय पर बहुत विस्तार से जानकारी दी है। मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह है कि वर्तमान में जो बसें चल रही हैं उनके संचालन पर कितना खर्चा आ रहा है। मैंने धर्मशाला के एच0आर0टी0सी0 के आर0एम0 से पूछा था कि जो डीजल बस धर्मशाला से पठानकोट जाती थी, उसके संचालन पर कितना खर्च आता था। मैंने यह इसलिए पूछा है क्योंकि कल-परसों भी यहां चर्चा हो रही थी कि इलेक्ट्रिकल बसें जगह-जगह खड़ी हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि डीजल बसों के संचालन पर पहले कितना खर्च होता था और अब इलेक्ट्रिकल बसें आने के बाद उस खर्च में कितना अंतर आया है? इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार एच0आर0टी0सी0 को किस प्रकार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है?

दूसरा, मैंने पिछली बार विधान सभा में प्रश्न किया था और शाहपुर में भी आपने इलेक्ट्रिकल बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाया है। इसके लिए भी मैं उप-मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि पहले पठानकोट से धर्मशाला और धर्मशाला से पठानकोट के बीच जो डीजल बस चलती थी, उस बस के संचालन पर डीजल का कितना खर्च आता था और अब उसी रूट पर इलेक्ट्रिकल बस चलने से कितना खर्च आता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों में कितना अंतर आया है?

21.11.2026/1105/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अब तक 577 बसें पर्चेज की हैं जिनमें से 300 इलेक्ट्रिक बसें हैं। दूसरे, मैं बताना चाहता हूं कि हम 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें अपने फ्लीट में शामिल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 250 डीजल बसें और 100 मिनी/मिडी बसें भी शामिल कर रहे हैं। इस प्रकार हम इस वर्ष लगभग 1,350 बसें अपने फ्लीट में शामिल कर रहे हैं ताकि पुराने फ्लीट को रिप्लेस किया जा सके। हमने 366 बसें कंडेमनेशन पर लगा दी हैं क्योंकि जगह-जगह से शिकायतें आ रही थीं कि बसें रास्ते में रुक जाती हैं और कई बसें प्रॉब्लमैटिक हैं। इसलिए हमने नया फ्लीट तैयार करने का निर्णय लिया है।

दूसरा, हमने जो 300 बसें खरीदी हैं उन बसों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही हैं। इन बसों के संचालन के दौरान 12 वर्ष तक इनके रख-रखाव की जिम्मेवारी कंपनी के पास ही रहेगी। यह पहली बार है कि हमने इन बसों का ट्रायल भी करवाया है और ट्रायल के आधार पर प्रदेश में यह देखा जा रहा है कि किन-किन डिपुओं को इलेक्ट्रिक में बदला जा सकता है और किन-किन स्थानों पर डीजल बसें ही चलेंगी। जिन रूटों पर बसों को लंबी दूरी तय करनी है, विशेषकर दिल्ली आदि के लिए वहां बी0एस0-6 बसें भेजी जा रही हैं, । इस प्रकार पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही हम बसों का संचालन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पठानिया जी ने जो जानकारी चाही है, उसमें डीजल की बस के संचालन पर हमें प्रति किलोमीटर 86 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं जबकि इलेक्ट्रिक बस पर प्रति किलोमीटर 68 रुपये खर्च हो रहे हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में लगभग 18 रुपये का फायदा हो रहा है। बहुत-से माननीय सदस्यों ने लगातार बसों की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई है। **बसों की खरीद का प्रोसैस इस वर्ष पूरा हो जाएगा और हम बहुत जल्दी नया फ्लीट शामिल करके जिन-जिन स्थानों के लिए माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं वहां बसें उपलब्ध करवा देंगे।**

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नई बसें आने के बाद आपने उन्हें डिपो वाइज भेजने में बहुत अन्याय और भेदभाव किया है। मैं देख रहा था कि बिलासपुर डिपो में शायद एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं आई है। इसका क्या कारण है?

21.11.2026/1105/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में 242 रूट बंद किए हैं और उनमें से केवल 44 रूट ही दोबारा शुरू किए गए हैं। जब आपके पास 300 नई बसें आ गई थीं तो आपने पहले उन 242 बंद रूटों पर बसें क्यों नहीं चलाईं? आपने लगभग 200 बस रूट बंद छोड़ दिए और नई बसें आने के बाद भी उन पर बस सेवा शुरू नहीं की जबकि अन्य स्थानों पर बसें शुरू कर दी गईं।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

21-11-2-2026/1110/NS-DC/1

प्रश्न संख्या : 4743 -----क्रमागत श्री रणधीर शर्मा------जारी

क्या आप विश्वास दिलाते हैं कि अभी आप जिन नई बसों के आने की बात कर रहे हैं उनके आने पर बंद किए गए सभी बस रूटों पर दोबारा बसें चलाएंगे? अध्यक्ष महोदय, दूसरा, हर बार प्लानिंग की बैठक से पहले प्राथमिकताएं ली जाती थीं। पहले लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की प्राथमिकताएं ली जाती थीं लेकिन पिछले तीन वर्षों से इलेक्ट्रिक बस रूट्स की प्राथमिकताएं भी ली गई हैं। हमने भी अपनी प्राथमिकताएं दी हैं। मुझे जानकारी नहीं है लेकिन ये बसें खरीदने के लिए नाबार्ड से ही पैसा लिया होगा। जब आपने नाबार्ड से पैसा उधार लिया है तो उसका लाभ सभी विधान सभा क्षेत्रों को बराबर मिलना चाहिए। 68 विधायकों ने अपनी प्राथमिकताओं में जो रूट दिए हैं उन पर बसें चलनी चाहिए। जबकि दुःख का विषय है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र से हमने पिछले तीन वर्षों में छह बस रूट दिए लेकिन उनमें से एक पर भी आपने बस नहीं चलाई। मैं कई बार विधान सभा के अंदर यह बात उठा चुका हूं कि पुराने एन0एच0- 205 कीरतपुर से नौणी वाया स्वारघाट, गंबर पुल और कल्लर तक बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। एम्स के कारण वहां के

लोगों को जिला मुख्यालय जाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमने बार-बार आपसे उस रूट पर बस सेवा बहाल करने की मांग की लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हमने इसे अपनी प्राथमिकताओं में भी दिया फिर भी इस पर बस सेवा शुरू नहीं की गई। विपक्ष के विधायकों के साथ यह अन्याय और भेदभाव क्यों हो रहा है तथा इसे कब और कैसे दूर करेंगे? इस बारे में आप अवश्य बताएं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि बसों की बल्क परचेज होने जा रही है और बसें उपलब्ध हो जाएंगी। मैं आपके कन्सर्न से सहमत हूं। मैं आपकी चिंता से भी वाकिफ़ हूं और अन्य माननीय सदस्यों की चिंताओं से भी वाकिफ़ हूं। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम अपने फ्लीट को इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट करेंगे। यह बहुत बड़ी चुनौती और बड़ा काम है। हमारी बहुत-सी बसें ऐसी हैं जिन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार बेड़े से हटाना पड़ता है। उसके अनुसार 15 वर्ष पुरानी बस को बेड़े

से हटा दिया जाता है। दूसरे नियम के अनुसार यदि कोई बस नौ लाख किलोमीटर चल चुकी है तो उसकी बुक वैल्यू जीरो हो जाती है और ऐसी बस को भी हटाना पड़ता है। आपने जिस विषय की ओर ध्यान दिलाया है उसके संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में बहुत-से स्थान ऐसे हैं जहां डीजल बस चलाना ही अनिवार्य है। वहां हम इलेक्ट्रिक बस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक बसें भी उन्हीं स्थानों पर भेजी जाएंगी जहां चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे। अभी हमें चार्जिंग स्टेशन के लिए नाबार्ड के माध्यम से मुख्य मंत्री जी ने पैसे दिए हैं और चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। 58 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लग भी गए हैं। जहां-जहां चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं वहां हम बसें चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां और चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बिड हो चुकी है वहां भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। **इसलिए जहां रूट सरल है और इलेक्ट्रिक बस चलाने के योग्य है वहां चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और बसें उपलब्ध होने के साथ ही इलेक्ट्रिक बसें चला दी जाएंगी।** लेकिन आपके कई रूट ऐसे हैं जहां हमें डीजल बसें ही चलानी पड़ेंगी। इसलिए हमने 250 डीजल बसें भी मंगवाने का निर्णय लिया है। अभी आपने 44 रूटों की बात कही है और लगभग 225 रूट ऐसे हैं जहां बसें नहीं चल रही हैं। इनमें एक पहलू यह भी है कि कुछ रूट

ऐसे हैं जहां बस से होने वाली आमदनी 4 रुपये, 5 रुपये या 7 रुपये ही है। ये अनइकोनॉमिकल रूट हैं। लेकिन लोग यह चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एच0आर0टी0सी0 ही बस सेवा उपलब्ध करवाए क्योंकि वहां प्राइवेट बस ऑपरेटर बसें लेकर नहीं जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मिनी और मिडी बसें खरीदने का निर्णय लिया है ताकि जहां 8 या 10 सवारियां मिलती हैं वहां छोटी बसें भेजी जा सकें। हम बहुत जल्द छोटी बसें भी खरीद रहे हैं, डीजल बसें भी खरीद रहे हैं और इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं। जैसे ही ये बसें उपलब्ध होंगी तो हम भी चाहते हैं कि बंद हुए लगभग 225 रूट्स बंद हुए हैं

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

21.11.2026/1115/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 4743.. जारी उप-मुख्य मंत्री... जारी

वहां एच0आर0टी0सी0 की बसें उपलब्ध हो। आपके समय भी कोरोना काल के दौरान जो रूट बंद हुए हैं वे बहाल नहीं हो पाए हैं। ऐसे बहुत से रूट हैं जो अभी तक बहाल नहीं हो पाए हैं। हम उन रूटों पर एच0आर0टी0सी0 की बसें उपलब्ध करवाना चाहते हैं। इसके साथ-साथ हम बेरोजगार युवाओं के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर बसें उपलब्ध करवाने की योजना भी लेकर आए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उन्हें रूट भी आवंटित करने हैं, बसें भी खरीदनी हैं और सब्सिडी भी उपलब्ध करवानी है। इसलिए इस प्रक्रिया में समय लग रहा है। तब तक हम एच0आर0टी0सी0 की बसें प्रत्येक रूट पर चलाने के लिए वचनबद्ध हैं।

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न बंद हुए बस रूटों से संबंधित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कंधर-बाघा-दिल्ली एकमात्र बस सेवा थी जो सीधे दिल्ली जाती थी। यह बस सेवा पिछले काफी समय से बंद है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस बस सेवा को कब तक बहाल किया जाएगा? जैसा माननीय उप-मुख्य मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों और डीजल बसों की रनिंग कॉस्ट में लगभग 19 रुपये प्रति किलोमीटर का अंतर है। पहले इस रूट पर यह हवाला दिया गया था कि यह रूट अनइकोनॉमिक है जबकि मेरा कहना है कि यह रूट इकनोमिकल है। अतः

इसे जनहित में दोबारा शुरू किया जाए। दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ अन्य बस रूट भी बंद हैं। शिमला-खाली और शिमला-देहना बस सेवा भी पिछले कुछ समय से बंद है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन बस रूटों को कब तक बहाल किया जाएगा? धन्यवाद।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए वहां केवल बी0एस0-6 बसों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। हमारे पास जितनी बी0एस0-6 बसें उपलब्ध हैंउन्हें हम लंबे रूटों पर चला रहे हैं और दिल्ली भी भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम वॉल्वो बसें भी दिल्ली भेज रहे हैं। लगभग 22 वॉल्वो बस रूट दिल्ली जाते हैं लेकिन हमारे पास पर्याप्त बी0एस0-6 बसें उपलब्ध नहीं हैं इसलिए हम अन्य बसें दिल्ली नहीं भेज सकते। **माननीय सदस्य ने जिस बस रूट के बंद होने की बात**

21.11.2026/1115/RKS/DC-2

कही है, जैसे ही हमारी डीजल बसों की खरीद की प्रक्रिया पूरी होगी और बी0एस0-6 बसें उपलब्ध होंगी, हम माननीय सदस्य का रूट बहाल कर देंगे। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लगभग 200 बस रूटों के बंद होने की बात यहां की जा रही है उनमें कुछ ऐसे रूट भी हैं जहां माननीय सदस्य एक- दो किलोमीटर या तीन किलोमीटर तक किसी अन्य बस रूट के साथ क्लब करवाना चाहे तो आप हमें बता दें ताकि हम किसी-न-किसी ढंग से अन्य रूट की बस को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें। मैंने कल भी विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह माननीय सदस्यों से इस संबंध में बात कर लें। इसलिए जब तक हमारी बसिज नहीं आती हम वहां 2-4-5 किलोमीटर तक बस रूटों का एक्सटेंड कर देंगे जहां इनकी जरूरत है।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई हैं लेकिन चम्बा के लिए जो आबंटन किया गया है वह केवल 10 बसों का है। चंबा बस डिपो अपने आप में 5 विधान सभा क्षेत्रों को कवर करता है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण रूट आते हैं। इनमें चम्बा से शिमला और चम्बा से दिल्ली के रूट भी शामिल हैं। अब हमारे 3 रूट तीसा से टांडा, बैरागढ़ से शिमला और नालागढ़ से भंजराडू भी हैं। अध्यक्ष महोदय,

आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण रूट हैं और इन रूटों पर सबसे अधिक वायबिलिटी है। चम्बा से शिमला और चम्बा से दिल्ली के रूट भी काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन रूटों पर विद्यार्थी आवागमन करते हैं और बद्दी-नालागढ़ क्षेत्र में भी काफी लोग नौकरी करते हैं। क्या माननीय उप-मुख्य मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि चम्बा डिपो को इलेक्ट्रिक बसों का जो कम आबंटन किया गया है उसकी भरपाई आगामी समय में नई बसों की खरीद के दौरान पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध करवाकर की जाएगी? दूसरा, लाँग रूट की बसें बार-बार रास्ते में खड़े हो रही हैं। परसों रात को ही मुझे फोन आया कि टांडा से भंजराडू के लिए निकली बस बनीखेत से नीचे बाथरी के पास खड़ी हो गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि अनेक बार हो चुका है। मैंने इस संबंध में आपसे व्यक्तिगत रूप से भी कई बार निवेदन किया है। शिमला-भंजराडू और बैरागढ़ वाले रूट पर तो आपने

श्री बी0एस0द्वारा जारी

21.11.2026/1120/बी.एस./एच.के.-1

प्रश्न संख्याः 4743 जारी...डॉ0 हंस राज जारी...

स्वयं भी निरीक्षण किया है। लेकिन जो मुख्य रूट हैं चाहे चम्बा से शिमला जाने वाली बसें हों, चाहे दिल्ली जाने वाली बसें हों या भरमौर से शिमला और बैरागढ़ से शिमला के रूट हों। इसी प्रकार टांडा और नालागढ़ के रूट भी हैं। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सभी लंबे रूटों पर अच्छी बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी? बसें साफ-सुथरी होनी चाहिए। अब व्यावहारिक रूप से सर्दियों का समय है इसलिए बसों के शीशों सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई बस रात के समय रास्ते में खड़ी हो जाए और वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज जी ने इलेक्ट्रिक बसों के संबंध में कहा कि चम्बा को 10 बसें दी गई हैं। वास्तव में चम्बा का भौगोलिक क्षेत्र और वहां का टेरेन ऐसा है कि वहां डीजल बसें उपलब्ध करवाकर ही काम चल सकता है। इसलिए हम कठिन क्षेत्रों के लिए डीजल बसें खरीद रहे हैं अन्यथा मुख्य मंत्री भी बार-बार कह रहे

हैं और मुख्य मंत्री जी का भी यही कहना है कि हमें अधिकतम बस बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करना है। लेकिन जो डीजल बसें हम खरीद रहे हैं वे आपके जिलों और क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही खरीदी जा रही हैं। फिर भी हमने चम्बा में 10 इलेक्ट्रिक बसें भेजी और उनका ट्रायल किया। हालांकि ये बसें चम्बा के लिए नहीं आई थीं फिर भी हमने वहां भेजकर परीक्षण किया। चम्बा में ये बसें कामयाब भी हुई हैं लेकिन ये लो फ्लोर बसें हैं। इसलिए अब हम जो 1,000 नई बसें खरीद रहे हैं उनमें फ्लोर की ऊंचाई बढ़ाने का प्रावधान भी मानदंडों में शामिल कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके क्षेत्र में डीजल बसों की खरीद के साथ-साथ वहां की परिस्थितियों के अनुरूप बसें उपलब्ध करवाई जाएं।

जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने पहले आपको 10 डीजल बसें दीं। उसके बाद 10 नई बसें और उपलब्ध करवाईं। इसके अतिरिक्त अभी 10 इलेक्ट्रिक बसें भी दी हैं। इस प्रकार लगभग 30 बसें हमने चम्बा को उपलब्ध करवाई हैं। एक दिन जब मैं स्वयं चम्बा गया था तो सड़क पर खड़े होकर मैंने देखा कि चम्बा से लंबे रूटों पर

आने वाली बसों की स्थिति क्या है। अभी भी आपकी अच्छी बसें शिमला और दिल्ली सहित दूसरे स्थानों के लिए चल रही हैं। फिर भी मैं आपकी चिंता से सहमत हूं। जैसे ही नई बसें उपलब्ध होंगी चम्बा को प्राथमिकता में रखा जाएगा। चम्बा सहित अन्य कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले जिले भी हमारे ध्यान में हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ क्षेत्रों को अधिक बसें दी गई हैं जबकि कुछ क्षेत्रों को बहुत कम बसें उपलब्ध करवाई गई हैं। कुछ क्षेत्रों की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वहां लोगों को पैदल ही आना-जाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है जहां लोगों के आने-जाने का एकमात्र साधन सड़क मार्ग है और सड़क मार्ग पर भी बसें ही परिवहन का मुख्य साधन हैं। आपने जो बस रूट रद्द किए हैं उन्हें रद्द करने के पीछे क्या कारण रहे हैं? अध्यक्ष महोदय,

एक बात यह है कि क्या बसें घाटे में चल रही थीं या आपके पास बसों की उपलब्धता कम थी? हम यह जानना चाहते हैं कि इसका वास्तविक कारण क्या था?

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले सत्र में मैंने एक प्रश्न किया था जिसमें बताया गया था कि 13 रूट बंद कर दिए गए हैं। जब से व्यवस्था परिवर्तन का दौर आया है और हमारे सुक्खू महाराज जी प्रकट हुए हैं तब से यह स्थिति बनी हुई है। महाराज शब्द बहुत प्यार और सम्मान के साथ कहा जाता है। आप तो हमको क्या-क्या नाम बोलते थे उसे छोड़िए। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। बसों के आवंटन और वितरण के संबंध में आपने जो रिप्लाई दिया है उसके अनुसार मण्डी डिपो को 14 इलैक्ट्रिक बसें और 4 साधारण बसें दी गई हैं। धर्मशाला डिपो को 2 साधारण बसें और 5 इलैक्ट्रिक बसें दी गई हैं। जोगिंदरनगर डिपो को 6 साधारण बसें और 35 इलैक्ट्रिक बसें दी गई हैं।

इसके बाद मैं अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय काफी हो गया है। इसमें आपका क्षेत्र भी आता है। आपके क्षेत्र के हरोली बस डिपो में साधारण बसों की संख्या शून्य है जबकि 30 इलैक्ट्रिक बसें हैं। आप अपने क्षेत्र का ख्याल रखेंगे यह स्वाभाविक है क्योंकि आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं। ये बसें आपके डिपो से दूसरे क्षेत्रों में भी जाती होंगी।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

21.11.2026/1125/DT/HK-1

प्रशन संख्या 4743 जारी.... श्री जय राम ठाकुर जारी.....

लेकिन पुराने और बड़े बस के डिपो हैं जैसे मंडी, धर्मशाला और कांगड़ा आदि, इन डिपोज में बसों की संख्या बहुत कम कर दी गई है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्री ने कहा कि हम इसे बैलेंस कर देंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये कैसे करेंगे वह फार्मूला हमें भी बताएं? दूसरी बात आपने कहा था कि आगे चलकर इन्हें बैलेंस कर देंगे। मेरा प्रश्न है कि आप इन्हें कैसे बैलेंस करेंगे? इसका फॉर्मूला हमें भी बताएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 297 बसें खरीदी गई हैं। इनकी खरीद पर कुल कितनी लागत आई है और एक बस की कीमत क्या है?

इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो 297 बसें खरीदी गई हैं उनकी टेंडर की कंडीशन्स यह थी कि ये बसिज प्रदेश के 80बस रूट्स पर ट्रायल बेसिज पर चलाई जाएंगी। लेकिन बिना ट्रायल के ही बसें खरीद ली गईं। इसकी क्या वजह रही कि आपने बिना ट्रायल के बसें खरीद लीं? इसके बाद जब इन बसों को ट्रायल बेस पर चलाया गया तो ये बसिज अपनी तय डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंच पाईं। इसका क्या कारण है, इसका उत्तर हमें चाहिए?

मेरी जानकारी के अनुसार एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह बसिज लगभग 180 किलोमीटर चलनी थी और उसके बावजूद उसमें 20 प्रतिशत बैटरी कैपेसिटी रिजर्व रहनी चाहिए थी। क्या आप इस संबंध में भी सदन को जानकारी देंगे? हमारी जानकारी के अनुसार इन बसिज की बैटरी केवल 144 किलोमीटर चलने पर ही एक्सॉस्ट हो जा रही हैं और उसमें केवल 10 से 12 प्रतिशत बैटरी बच रही है। ये सभी बातें बहुत गंभीर प्रकृति की हैं क्योंकि इस खरीद को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। इसीलिए मैंने सदन में नियम-67 के अंतर्गत अपने स्थगन प्रस्ताव में भी इन विषयों का संदर्भ दिया था। इन सभी तथ्यों का स्पष्ट होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जिन रूटों पर पहले ये बसें चलती थीं उन रूट्स पर बसें बंद कर दी और नई बसों को नए रूटों पर चला दी गई। जिन रूटों पर प्राथमिकता के आधार पर बसें उपलब्ध

21.11.2026/1125/DT/HK-2

करवाई जानी चाहिए थीं वहां बसें क्यों नहीं दी गईं? इन सभी विषयों पर उप-मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री महोदय, आप अपने उत्तर में शिमला के क्षेत्र को भी कवर कर लेना क्योंकि शिमला के विधायक भी प्रश्न पूछने के लिए अपने-अपने हाथ उठा रहे हैं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी जो बातें कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के संबंध में मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि विक्रम जी इसे अपने ऊपर आक्षेप के रूप में न लें या इसे अन्यथा में न लें क्योंकि मेरी ऐसी कोई धारणा नहीं है। लेकिन चूंकि यह सवाल उठाया जा रहा है इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले ट्रायल का कोई प्रावधान नहीं था। बिक्रम जी जब खुद परिवहन मंत्री थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल में जब शिमला के लिए 35 बसें आईं तो पहली बार उसमें ट्रायल का प्रावधान जोड़ा था। इससे पहले जब इन्होंने भी बसें खरीदी थीं तब उनमें ट्रायल का प्रावधान नहीं था। अब ट्रायल का प्रावधान जोड़ा गया है और हमने ट्रायल शुरू किया है। इन्होंने भी केवल शिमला में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आई बसों का ट्रायल शुरू किया था और हमने भी इन बसों का ट्रायल शुरू किया है। जिन बसिज पर प्रश्न उठ रहा है ये बसें वर्ल्ड क्लास बसें हैं, यह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। सारे संसार में यही बसें चल रही हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए कहीं अन्य स्थान से अलग प्रकार की बसें नहीं आनी हैं। इन सभी बसों की बैटरियां और इनके सेल चीन ही बनते हैं यहां पर केवल इनको असेंबल किया जाता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि आपके मन में यह धारणा बनी हुई है कि इन बसों को किस ढंग से चार्ज किया जा सकेगा। आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आपके मन में यह विचार भी आना चाहिए कि किसी न किसी ढंग से इन बसों की खरीद को डिस्प्यूट में कैसे डाला जाए। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। रोहतांग के लिए जब पहली बस चलाई गई थी तब भी इसी प्रकार की बस आई थी। उस समय ऐसी पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि बस खरीदने के बाद उसकी रिपेयर का जिम्मा भी कंपनी का ही होगा। अब जो बसें आई हैं उनमें कंपनी ने केवल बसें उपलब्ध नहीं करवाई हैं बल्कि 12 वर्ष तक उनके संचालन का जिम्मा भी कंपनी का ही है। इन बसों में टायर भी कम्पनी वाले ही चेंज करके देंगे और बसों की रिपेयर भी वही करेंगे। कार्यशाला के लिए कर्मचारी भी कंपनी ही उपलब्ध करवाएगी। जिन प्रदेशों में जैसे दिल्ली और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार वहां भी तो यही बसें खरीद जा रही हैं। वहां और कौन सी बसें

खरीदी जा रही हैं? यह कम्पनी पूरे देश में हजारों बसें सप्लाई कर चुकी है। हमारे और अन्य राज्यों की बसों के संबंध में बस इतना ही कहूंगा कि हमने इस कम्पनी को कहा कि

इन बसों को पहाड़ी राज्य में चलाने के दृष्टिगत तैयार किया जाए और इनकी ऊचाई थोड़ी बड़ा दी जाए ताकि इनकी ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छी हो जाए। अगर ये बसें किसी रास्तें में गड्ढे के कारण या अन्य कारण से फंस जाती है है तो इसमें इसे चार इंच ऊपर उठाने का भी एक सिस्टम है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

21.11.2026/1130/वाई0के0/ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या 4743 जारी.....उप-मुख्यमंत्री जारी.....

आपके ध्यान में यह भी आ रहा है कि बसे चल नहीं रही हैं। मैं माननीय सदन के सामने आपसे बोलना चाहता हूं कि 297 बसों में एक भी बस अभी तक खड़ी नहीं है। जब नई बसें आई थी तो कुछ लोगों को उनके संचालन में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी क्योंकि बसें नई थीं और नए ड्राइवर उन्हें चला रहे थे। इसलिए शुरुआत में संचालन संबंधी थोड़ी-बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये बसें औसतन 193 किलोमीटर चल रही हैं। जबकि हमारे साथ उनका एग्रीमेंट 180 किलोमीटर का हुआ है। मैंने आपको बताया कि शिमला से मनाली के बीच तीन बसें चल रही हैं। यह बसें सिंगल चार्ज में 245 किलोमीटर तक का सफर कर रही हैं। इसी तरह ऊना के पंडोगा-से-चंडीगढ़ जाने वाली बस सिंगल चार्ज में 276 किलोमीटर चली है।

इसलिए आप इस बात पर विवाद नहीं कर सकते कि ये बसें हम कहां से लेकर आए हैं। ये बसें हमने नहीं बनाई हैं। पूरे संसार में यही बसें चल रही हैं और पूरे देश में भी यही बसें चल रही हैं। सभी सरकारें यही बसें खरीद रही हैं। पहले रोहतांग के लिए भी यही बस खरीदी गई थी। इन बसों का सौदा 372 करोड़ रुपये में हुआ है। मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले तीन महीने से ये बसें चल रही हैं, लेकिन अभी तक हमने कंपनी को कोई पैसा नहीं दिया है। ताकि हमारे लोग पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। हमारे ड्राइवर और कंडक्टर भी संतुष्ट हो जाएं। तीन महीने से बसें चल रही हैं और एक बार गाड़ियों के टायर भी बदल गए हैं। इसके बावजूद अभी तक कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

दूसरी बात, बसों की सप्लाई में कंपनी की ओर से जो देरी हुई थी, उसके लिए हमने लगभग 27 करोड़ रुपये का जुर्माना भी प्रस्तावित किया है क्योंकि बसें देरी से आई थी। आप कहते हैं कि ये बसें नालागढ़ में खड़ी हैं या परवाणू में खड़ी हैं। वे उन्हें जहां मर्जी खड़ा करें। हमने तो बसें तभी लेनी हैं जब वे हमारी सभी शर्तों को पूरा करेंगी।

21.11.2026/1130/वाई0के0/ए0पी0/-02

दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये बसें 80 रूटों पर चलनी थी, लेकिन उन रूटों पर बसें नहीं जा रही हैं। इस बारे में एक बात है। माननीय सदस्य श्री बिक्रम जी भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं और उन्हें भी मालूम है कि ट्रायल रूटों पर बसें नहीं चलाई जाती हैं। बसें तो प्रदेश और देश के निर्धारित रूटों पर चलनी हैं। ट्रायल तो हम ऐसे ही करवा लेंगे, जैसे आप कहें कि यहां से बस को बागसुनाग तक चला दो। यह ट्रायल रूट हो सकता है। लेकिन बस को तो यहां से शिमला तक का सफर करना है या चंबा तक का सफर करना है। इसलिए आप ट्रायल रूटों और नियमित रूटों को लेकर भ्रमित कर रहे हैं कि बसें ट्रायल रूटों पर नहीं जा रही हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि काफी स्थानों पर बसें नहीं जा रही हैं। जिन स्थानों पर बसें नहीं जा रही हैं, वहां चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं। जैसे-जैसे चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, वैसे-ही उन स्थानों पर भी बसें उपलब्ध होती जाएंगी। फिर भी मैं इस सदन को एक बात कहना चाहता हूं कि यह हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और यहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। यहां दूर-दराज के दुर्गम और जनजातीय इलाके हैं। यहां हमें डीजल की बसें भी साथ-साथ चलानी ही पड़ेंगी चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी हो या आपकी सरकार हो। हमें डीजल की बसें भी चलानी पड़ेंगी। इसलिए हम डीजल बसों की खरीद भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष : आधा-घण्टा हो गया इसी प्रश्न के लिए and I have to see other questions also.

21.11.2026/1130/वाई0के0/ए0पी0/-03

प्रश्न संख्याः 4747

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न काफी सीधा-सा है। सरकार ने अप्रैल महीने में आदेश जारी किए थे कि विभिन्न विभागों और बोर्डों में कहीं पर भी सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सरकार इस मामले में क्या छिपाना चाहती है? पिछले सत्र में भी हमने यह प्रश्न किया था लेकिन हमारा प्रश्न स्थगित हो गया था। मुझे लगता है कि अप्रैल से लेकर अब तक, यानी पिछले सात महीनों में सरकार ने कितने सेवा विस्तार दिए हैं और कितनी पुनर्नियुक्तियां की हैं, इसकी जानकारी हमने मांगी थी। लेकिन सात महीने बीत जाने के बाद भी हमें इस साधारण से प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमें इस प्रश्न का जवाब कब तक मिलेगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि पिछले सात महीनों में कोई ज्यादा नियुक्तियां नहीं हुई होंगी। सिर्फ डॉक्टरों को छोड़कर, क्योंकि उनकी सेवा अवधि हमने दिनांक 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाई है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

21.11.2026/1135/AT/YK/01

प्रश्न संख्या 4747 जारी ...मुख्य मंत्री जारी...

क्योंकि मेडिकल कॉलेजों और पीएचसी में डॉक्टरों की कमी है। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि हमने कोई अधिक एक्सटेंशन या रिप्लेसमेंट दिए होंगे। लेकिन मैंने कहा है कि सही सूचना आनी चाहिए। अब आपने अच्छा प्रश्न पूछा है इसलिए अगले सत्र में इसकी सही सूचना सदन में रख दी जाएगी।

21.11.2026/1135/AT/YK/02

प्रश्न संख्या 4748

श्री लोकेंद्र कुमार: सर, सूचना कब तक एकत्रित हो जाएगी?

आयुष मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछले चार वर्षों में पहली बार यह प्रश्न सदन में आया है। इस बार प्रश्न के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। अगले सत्र तक माननीय सदस्य को इसकी सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

प्रश्न संख्या 4962(अनुपस्थित।)

प्रश्न संख्या 4963

श्री पवन कुमार काजलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने पूछा था कि पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला कांगड़ा में नाबार्ड के अंतर्गत कितनी डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई हैं। उत्तर में बताया गया है कि जिला कांगड़ा में लोक निर्माण विभाग की 37 योजनाएं नाबार्ड के अंतर्गत संकलित की गई हैं जिनकी कुल लागत 274 करोड़ रुपये है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की भी 9 डी0पी0आर0 विभाग द्वारा तैयार करके नाबार्ड को भेजी गई हैं। मैं उनका विवरण सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। बिल गलुआ से नगाल टल्ला वाया हरिजन बस्ती, गड़िया, ग्राम पंचायत पलेरा सड़कः इसकी लंबाई साढ़े चार किलोमीटर है। यह वर्ष 2022-23 की विधायक प्राथमिकता में शामिल है। इसकी डी0पी0आर0 5 करोड़ 94 लाख रुपये की तैयार की गई है। बरोटू से झिकला चत्रेटा, तत्त्वाणी लिंक रोडः यह वर्ष 2023-24 की विधायक प्राथमिकता में शामिल है। इसकी डी0पी0आर0 2 करोड़ 23 लाख रुपये की तैयार करके विभाग द्वारा नाबार्ड को भेजी गई है। राहा से संगम वाया पन्यारकल लिंक रोडः इसकी लंबाई ढाई किलोमीटर है। यह वर्ष 2022-23 की विधायक प्राथमिकता में शामिल है। इसकी डी0पी0आर0 3 करोड़ 59 लाख रुपये की तैयार करके विभाग द्वारा नाबार्ड को भेजी गई है।

इसी प्रकार, सलोल से दमन भेड़ा तक लिंक रोड की डी0पी0आर0 भी विभाग द्वारा तैयार करके नाबार्ड को भेजी गई है।

इसके अतिरिक्त, तियारा से कांगड़ा वाया समीरपुर खास, तियारा-दरियां सड़क की डी0पी0आर0 भी विभाग द्वारा तैयार करके नाबार्ड को भेजी गई है। यह लगभग वर्ष 2018-19 की विधायक प्राथमिकता में शामिल है तथा इसकी डी0पी0आर0 7 करोड़ 17 लाख रुपये की है।

इछी से पैक वाया दोड़न, त्यारी, अब्दुल्लापुर, मांझी खड्ड तक सड़कः इसकी डी0पी0आर0 6 करोड़ 9 लाख रुपये की तैयार करके विभाग द्वारा नाबार्ड को भेजी गई है।

बोर्ड क्वालू से कदरी, पैंथर, जुगेंद्र सिंह, सबधनता, सनानी घर तक सड़कः इसकी डी0पी0आर0 9 करोड़ 56 लाख रुपये की तैयार करके नाबार्ड को भेजी गई है।

21.11.2026/1135/AT/YK/03

इस प्रकार कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की लगभग आठ-नौ डी0पी0आर0 लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार करके नाबार्ड को भेजी गई हैं। मेरी माननीय मंत्री जी से पीड़ा यह है कि पिछले तीन-चार वर्षों में कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की केवल एक ही डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इन आठ-नौ डी0पी0आर0 को भी स्वीकृति प्रदान की जाए। नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृति की जो सीमा निर्धारित है यह ठीक है कि आपने इसकी शुरुआत की है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल सत्ता पक्ष के विधायकों की ही डी0पी0आर0 स्वीकृत की जाएं। यह नया रिवाज नहीं पड़ना चाहिए। कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की ये आठ-नौ डी0पी0आर0 हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इन सभी डी0पी0आर0 की मेरी लिमिट भी वचती है।

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी.....

21.11.2026/1140/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री पवन कुमार काजल ... जारी

अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की 8-9 डी0पी0आर0 स्वीकृत होनी हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आयुष मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन 8-9 डी0पी0आर0 को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी? इससे मेरे विधान सभा क्षेत्र की प्रायोरिटी और किटी लिमिट भी बचती है। इसलिए मंत्री जी बताएं कि इन डी0पी0आर्ज0 को कब तक अप्रूव किया जाएगा?

आयुष मंत्री(प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन्होंने विस्तार से बताया है कि लगभग 8-9 डी0पी0आर0 बनकर तैयार हुई हैं। यह स्वाभाविक रूप से दर्शाता है कि सरकार जिला कांगड़ा के कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र और श्री पवन कुमार काजल जी के प्रति कितनी संवेदनशील है। तभी लगभग 8-9 डी0पी0आर0 बनकर तैयार हुई हैं। इनकी सैंक्शन और अप्रूवल एक निरंतर प्रक्रिया है। आपकी किटी में कितनी धनराशि उपलब्ध है उसे भी ध्यान में रखा जाता है तथा नाबार्ड में जिस प्रकार डी0पी0आर्ज0 सीक्वेंस-वाइज लगती हैं उसी के अनुसार स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आपने जिन डी0पी0आर्ज0 का जिक्र किया है उनमें वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 की डी0पी0आर0 भी हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि उस समय आप विधायक भी थे और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार भी थी। **उस समय इन डी0पी0आर0 को सैंक्शन हो जाना चाहिए था। फिर भी आपने जो विषय हमारे ध्यान में लाया है उन पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा।**

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिन डी0पी0आर0 का मैंने जिक्र किया है वे वर्ष 2018-19 की प्रायोरिटी की हैं जबकि उन्हें बनाकर वर्ष 2023-24 में आपके कार्यकाल के दौरान भेजा गया है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो नई व्यवस्था शुरू हुई है उसमें पिक एंड चूज हो रहा है। मुख्य मंत्री जी, इस कुर्सी पर बैठकर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की अपनी किटी और निर्धारित लिमिट होती है। सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए उन डी0पी0आर्ज0 को अप्रूव करना चाहिए।

21.11.2026/1140/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और कांगड़ा जिले में नाबार्ड के माध्यम से 275 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। यह बहुत बड़ी बात है। वर्ष 2018-19 में जब आपकी ये प्रायोरिटी थी तब आप विपक्ष में चले गए। यदि आप सत्ता पक्ष में रहते तो आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो जाती। ...(व्यवधान) बात यह नहीं है। वर्ष 2018-19 में हम विपक्ष में थे और इनकी डी0पी0आर0 उस समय अप्रूव होनी चाहिए थी क्योंकि ये तो बड़ा दिल रखते हैं लेकिन इन्होंने बड़ा दिल नहीं रखा और फिर उसके बाद हमने अपनी प्रायोरिटी फिक्स की तथा कांगड़ा से 10 एम0एल0ए0 जीतकर आए। अगली बार इससे ज्यादा आएंगे। इसका फायदा भी आपको होगा। **आपकी एक-आध स्कीम जो आपकी किटी के अनुसार होगी उस पर सरकार गौर कर सकती है। हमारे पास जितना बजट उपलब्ध होगा उस बजट में यदि आपका कांगड़ा आता होगा तो उस पर विचार करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं।**

अध्यक्ष : अगला प्रश्न संख्या 4964, माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी। ...(व्यवधान) पार्सिंग रैफरेंस है कि कांगड़ा को 265 करोड़ रुपये दिए गए। यह भी कह दिया कि करना तो लोगों ने ही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र करते-करते मुख्य मंत्री जी के दिल और दिमाग में जो बात है वह जुबान पर आ गई कि आप यहां से वहां चले गए होते तो आपके लिए हम बहुत कुछ करते, ऐसा इनका कहने का अभिप्राय था। इस माननीय सदन में 68 निर्वाचित विधायक हैं। आप केवल अपने दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। जब आप विपक्ष में होते थे तब ज्ञान की अनुभूति आपको इस प्रकार से होती थी कि आप सदस्यों के अधिकारों

एन0एस0 द्वारा ... जारी

21-11-2-2026/1145/NS-AG/1

प्रश्न संख्या : 4963-----क्रमागत श्री जय राम ठाकुर ------जारी

पर बहुत ज्यादा बोलते थे। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन के बाद स्थिति यह आ गई कि विधायकों को मिलने वाली विधायक क्षेत्र विकास निधि जो सभी विधायकों को समान रूप से मिलती थी और सभी विधान सभा क्षेत्रों में उपलब्ध होती थी उसे बंद कर दिया गया है। ...(व्यवधान)

Speaker: This is not a part of this Question.

Shri Jai Ram Thakur: This is part of the Question. This is important. Let me come to the point, please. मैं असली प्वाइंट पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : फिर इनको बोलना पड़ेगा और फिर पांच आदमी और बोलेंगे। ...(Interruption) Supplementary please.

श्री जय राम ठाकुर : नहीं-नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। रोकिए मत। यह सभी विधायकों से जुड़ा हुआ विषय है। आपने विधायक निधि बंद कर दी और इसके बावजूद भी कांग्रेस के विधायकों के लिए स्वीकृतियां और धनराशि जारी की जा रही हैं और वह उस पैसे से दी जा रही है जो विपक्ष के विधायकों का हिस्सा काटा गया है। विपक्ष के विधायकों का विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का पैसा काट कर उनको पैसा दिया जा रहा है। यह हमारा आरोप है। जहां तक डी0पी0आर0 की बात है तो माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल जी ने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार के समय 25 डी0पी0आर0 स्वीकृत की गई थीं। हमने कभी इस तरह का नजरिया नहीं रखा। विधायक सत्ता पक्ष या विपक्ष का हो, विधायक तो विधायक है। हमने उसके विधान सभा क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर फैसला किया। आप निर्णय केवल इस सोच के साथ कर रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक आपकी अपनी पार्टी का है लेकिन आप बाकी विधायकों को विधायक का दर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं हैं और उनके अधिकारों को कुचल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस अंतिम फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा नजरिया बढ़ाएंगे? आपने विधायक क्षेत्र विकास निधि बंद की है क्या उसे 31 मार्च तक पूरा जारी करेंगे और अगले वर्ष की विधायक क्षेत्रीय विकास निधि भी समय पर जारी करेंगे? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। हालांकि, प्रश्न किसी अन्य सदस्य का है लेकिन उससे यह प्रश्न

21-11-2-2026/1145/NS-AG/2

उजागर हुआ है और यह क्वेरी सामने आई है। इसलिए मैं यह विषय उठा रहा हूं क्योंकि यह सभी विधायकों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्य मंत्री हैं। आप तनाव में मत रहिए। तनाव-मुक्त रहिए और योगा कीजिए। आप रोज उदासीन क्यों रहते हैं? मैंने तो अपने उत्तर में बाद में यह कह ही दिया था कि इनकी जो किट्टी है यदि उसमें हमारे पास बजट का प्रावधान होगा तो हम करेंगे। आपने सुना नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी अंतिम लाइन जरूर सुनें ताकि आपका तनाव दूर हो जाए। जब आप तनाव में रहते हैं तो पूर्व की बात पश्चिम में कर देते हैं। विधायक निधि का इससे संबंध नहीं है। यहां नाबार्ड से संबंधित विषय पर बात हो रही है और हमने नाबार्ड से संबंधित ही बात की है। ...(व्यवधान) विधायक निधि का विषय अलग है। वह आप 12.00 बजे पूछें। जब आपका प्रश्नकाल समाप्त होगा तो उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। प्रश्नकाल में जिसका प्रश्न आता है उसको पूछना चाहिए। धन्यवाद।

Speaker: He is saying that there is discrimination between the MLAs. You rebut that.

मुख्य मंत्री : नहीं, मैं उसका जवाब 12.00 बजे दूंगा। अभी यह प्रश्न मुझसे संबंधित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 4964

श्री संजय अवस्थी : उपस्थित नहीं

21-11-2-2026/1145/NS-AG/3

प्रश्न संख्या : 4965

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपदा के दौरान बहुत अधिक नुकसान हुआ है जिसके कारण बहुत-से गांव भी धंस गए हैं। इसके लिए

एस0डी0एम0एफ0 के अंतर्गत सात योजनाओं की राशि स्वीकृत हुई थी लेकिन उनमें से केवल दो कार्य ही पूरे हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। इनके अंतर्गत फ्लड प्रोटैक्शन होना था ताकि गांवों को बचाया जा सके। मैं उप-मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन ठेकेदारों को ये कार्य आवंटित किए गए थे, वे बीच में ही काम छोड़कर चले गए हैं। पिछले लगभग छह-सात महीनों से वहां फील्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं स्वयं मौके पर कई जगह गया हूं और वहां पर कोई काम नहीं चला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप तुरंत विभाग को निर्देश दें

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

21.11.2026/1150/RKS/AS-1

प्रश्न संख्याः 4965... जारी

श्री सुरेन्द्र शौरी... जारी

मैं स्वयं मौके पर कई जगह गया हूं और वहां कोई काम नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप तुरंत संबंधित विभाग को निर्देश दें कि वे ठेकेदारों से शीघ्र काम करवाएं या फिर इसके लिए कोई अन्य विकल्प देखें। दूसरा, हमने एस0डी0एम0एफ0 हैड में कई कार्यों की डी0पी0आर0 बनाकर भेजी थीं। इस मद में अभी 7 कार्य लंबित बताए गए हैं। इन कार्यों की डी0पी0आर0 दिनांक 6 अगस्त, 2025 को बनाई गई थी लेकिन शिमला में हुई बैठक के दौरान इन योजनाओं के कार्य डेफर किए गए थे। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन कार्यों को स्वीकृति हेतु दिल्ली कब तक भेजा जाएगा? ये कार्य भी बहुत जरूरी हैं। अतः माननीय उप-मुख्य मंत्री जी इन कार्यों पर भी गौर करें।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं भी माना है कि 7 योजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। इनमें से 12 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 2 कार्य पूरे हो चुके हैं और 5 कार्य प्रगति पर हैं। हमें मिटिगेशन के लिए 381 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। इसमें से अभी केंद्र सरकार से 147 करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं। जैसे ही यह धनराशि प्राप्त होगी हम इनके सभी कार्य करवा देंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने

ठेकेदारों द्वारा काम न करने की बात कही है तो हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन-कौन से ठेकेदार काम कर रहे थे और विभाग द्वारा उन्हें कितना भुगतान किया गया था और उन्होंने काम बीच में क्यों छोड़ दिया है। अक्सर अच्छे ठेकेदार भुगतान में देरी होने के बावजूद काम पूरा कर देते हैं। हो सकता है कि किसी ऐसे ठेकेदार को काम दिया गया हो जो प्राप्त धनराशि के अनुसार ही काम कर रहा हो। इसलिए हम पूरी स्थिति का मूल्यांकन करके आपको अवगत करवा देंगे।

21.11.2026/1150/RKS/AS-2

प्रश्न संख्याः 4966

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मेरे क्षेत्र में 2 डिवीजन हैं। इनमें एक चिनाब डिवीजन है जिसके अंतर्गत पूरा लाहौल क्षेत्र आता है और दूसरा काजा डिवीजन है जिसके अंतर्गत पूरा स्पीति क्षेत्र आता है। उदयपुर डिवीजन के अंतर्गत लगभग 432 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। वहीं स्पीति डिवीजन के अंतर्गत लगभग 530 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। अब जब हम इन सड़कों के रख-रखाव की बात करते हैं तो लाहौल क्षेत्र में इसके लिए केवल 63 बेलदार और 43 मल्टी टास्क वर्कर रख गए हैं। इस प्रकार कुल 110 कर्मचारी इतने बड़े सड़क नेटवर्क के रख-रखाव का कार्य कर रहे हैं। वहीं स्पीति क्षेत्र की बात करें तो वहां लगभग 548 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के रख-रखाव के लिए करीब 500 बेलदार हैं। मुझे लगता है कि वहां कर्मचारियों की संख्या उचित है और इस कारण वहां ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन लाहौल क्षेत्र में सड़क नेटवर्क अधिक होने के बावजूद कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। इससे सड़कों के रख-रखाव में कठिनाई आ रही है। पहले विभाग में सीजनल लेबर रखने का प्रावधान था। कुछ वर्षों तक प्रत्येक डिवीजन में यही व्यवस्था चलती थी। लेकिन यह मामला न्यायालय में चला गया और न्यायालय में मामला जाने के बाद सरकार द्वारा सीजनल लेबर रखने की व्यवस्था बंद कर दी गई। वर्तमान में पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्ज की भर्ती भी काफी समय से नहीं हुई है। जबकि जल शक्ति विभाग में बीच-बीच में एक-दो बार मल्टीटास्क वर्कर्ज की नियुक्तियां हुई हैं। इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से प्रश्न भी है और निवेदन भी है कि क्या पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में लेबर की

संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा? विभाग में लेबर की संख्या बहुत कम होने के कारण सड़कों की उचित मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है और लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर जगह मशीनें नहीं पहुंच सकती। जहां छोटे पत्थर या मलबा गिरा होता है वहां मैन्युअली भी काम करवाना आवश्यक होता है। ऐसे स्थानों पर लेबर की आवश्यकता पड़ती है जहां मशीनें नहीं पहुंच पाती या मशीनों से काम करना संभव नहीं होता। यहां पर कंसर्ड मिनिस्टर उपस्थित नहीं है। अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती की जाए। इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सड़कों की मेंटेनेंस का कार्य भी सुचारू रूप से हो सकेगा। विभाग में लेबर की संख्या बहुत कम है और सड़क नेटवर्क इतना अधिक है कि

21.11.2026/1150/RKS/AS-3

उसकी उचित मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के पास जो मशीनें उपलब्ध हैं वे भी कई वर्षों पुरानी हैं। विभाग को नई मशीनें भी बहुत कम संख्या में मिलती हैं। कई बार 5 वर्षों में केवल एक-दो मशीनें ही उपलब्ध हो पाती हैं। उनकी हालत भी इतनी खराब होती है कि विभाग को प्राइवेट मशीनें लगानी पड़ती हैं। इसके लिए सरकार को मेंटेनेंस के मद में अलग से बजट का प्रावधान करना पड़ता है। यदि विभाग के पास अपनी मशीनें उपलब्ध हों और कम-से-कम 10 मशीनें हों; चाहे वे जे0सी0बी0 हों या डोजर तो मुझे लगता है कि प्राइवेट ठेकेदारों पर विभाग की निर्भरता काफी कम हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विभाग को आवश्यक मशीनें नियमित रूप से उपलब्ध करवाई जाएं। विशेषकर जनजातीय जिलों में जहां बर्फबारी के कारण काफी समस्याएं आती हैं वहां नई मशीनें जल्द-से-जल्द उपलब्ध करवाई जाएं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

21.11.2026/1155/बी.एस./ए.एस.-1

प्रश्न संख्याः 4966 जारी..

आयुष मंत्री(प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह स्वाभाविक रूप से सही है कि लाहौल-स्पीति विधान सभा क्षेत्र का अधिकतम भाग सर्दियों में बर्फबारी के कारण शेष हिमाचल प्रदेश से कट जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि उदयपुर उपमंडल के अधीन 43 बेलदार और 67 एम0टी0डब्ल्यू0 वर्कर अभी तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि कई स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है और कुछ स्थानों पर सरप्लस भी है। इस विषय पर भी विचार किया जाएगा। इन्होंने अतिरिक्त मल्टी टास्क वर्कर्स की आवश्यकता बताई है। क्योंकि लाहौल-स्पीति विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर कई स्थान ऐसे हैं जहां जे0सी0बी0 मशीनें नहीं पहुंच पाती हैं और वहां हाथों से ही काम करना पड़ता है।

अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने दिनांक 16.10.2026 को लोक निर्माण विभाग में अतिरिक्त मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती एवं नियुक्तियां करने के आदेश जारी किए **हैं। जैसे ही ये भर्तियां एवं नियुक्तियां होंगी वैसे ही लाहौल-स्पीति विधान सभा क्षेत्र से संबंधित इन्होंने जो समस्या उठाई है उस पर निश्चित रूप से पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा।** जहां तक इन्होंने जे0सी0बी0 और मशीनरी का विषय उठाया है तो विभाग समय-समय पर पुरानी मशीनरी को बदल रहा है। 15-15 वर्ष पुरानी हो चुकी मशीनरी को कई डिवीजनों और सब-डिवीजनों में बदला गया है। इसी प्रकार हमारे यूटिलिटी व्हीकल्स को भी बदला गया है। **यदि इनके विधान सभा क्षेत्र में भी कोई मशीनरी आउटडेटेड होगी तो विभाग उस पर निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई करेगा।**

21.11.2026/1155/बी.एस./ए.एस.-2

प्रश्न संख्याः 4967

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 'सहारा योजना' को लेकर था। हमारी पिछली सरकार ने गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को 3,000 रुपये प्रति माह देने के लिए यह योजना शुरू की थी। वर्तमान सरकार ने इस योजना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बजाय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंप दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत अभी कितने ऐसे लाभार्थी अथवा आवेदक हैं

जिन्हें सहारा योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं मिल पा रही है? सरकार उन आवेदकों को कब तक पेंशन देना सुनिश्चित करेगी?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि यह योजना पहले स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत थी और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों की पहचान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करते थे। अब इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है। क्या अब इन मामलों को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा या लोग सीधे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन करेंगे? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? कृपया इसकी भी जानकारी दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस योजना को बंद नहीं किया गया है लेकिन अधिक सशक्त बनाया गया है तथा नियमों में भी कुछ आवश्यक बदलाव किए गए हैं ताकि इसका लाभ अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुंच सके। जहां तक आपने कहा है कि बहुत से लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं होगा जिसके दस्तावेज अपलोड हो चुके हों और दस्तावेज सही हों फिर भी उसे पेंशन न मिली हो। अभी तक 70,029 लोगों को यह पेंशन दी जा चुकी है। मैं माननीय सदस्य की सराहना करना चाहूंगा कि वे बहुत अच्छे चिंतन के धनी हैं और बड़े तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखते हैं। मैं समझता हूं कि हमने पूरी व्यवस्था इसी उद्देश्य से बनाई है कि सभी पात्र लोगों को इस पेंशन का लाभ मिल सके।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने देखा है कि इस योजना को सोशल जस्टिस विभाग के अंतर्गत दिया गया है। **श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....**

21.11.2026/1200/DT/DC-1
प्रश्न संख्याः 4967 जारी
स्वास्थ्य एवं परविार कल्याण मंत्री जारी...

इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग इसमें

कोई भूमिका नहीं निभाएगा। मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें पहले की तरह ही डॉक्टर्स और अन्य संबंधित अधिकारी बाकायदा जांच करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब स्वास्थ्य विभाग की भूमिका समाप्त हो जाएगी। मेरा मानना है कि लोगों के मन में शायद यह आशंका उत्पन्न हुई है कि नई व्यवस्था में पहले की तरह काम नहीं होगा लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था पहले से भी बेहतर होगी। आप देख सकते हैं कि मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लूथान से लेकर ज्वालामुखी क्षेत्र तथा कंडाघाट के पास भी Skill Development के लिए कार्य किया गया है। कोटला बड़ोग में भी कार्य किया गया है।

Speaker : Hon'ble Health Minsiter, kindly confine yoursefl to this question only.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मैं इस उत्तर को इसी विषय तक सीमित रखते हुए स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सारी की सारीप्रक्रियाएं बहुत इफेक्टिव होंगी। अब कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति नहीं रहेगा जिसे सहारा पेंशन न मिले। मुझे जानकारी है कि यह राशि 3,000 रुपये है। हम यह प्रयास भी करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत लोगों को और अधिक राशि किस प्रकार दी जा सके तथा कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे। यह हमारी सरकार का सबसे पहला प्रयास है। मुख्य मंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आप देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बल्कि स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। आपने जो प्रश्न उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग इसमें शामिल नहीं होगा। I want tell the Hon'ble Member that they are very much linked with them. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बाकायदा इन सभी मामलों को देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है तो स्वास्थ्य विभाग उसकी जांच क्यों नहीं करेगा? आप जानते हैं कि इसमें थैलेसिमिया जैसी बीमारियां भी शामिल हैं।

21.11.2026/1200/DT/DC-2

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to supplement.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस योजना को बंद नहीं किया गया है तथा इसके अंतर्गत अभी ई0के0वाई0सी0 की प्रक्रिया चल रही है। सहारा योजना के तहत 88,000 लोगों को

चुनावों से पहले पूर्व सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पंजीकृत किया गया था। ...(व्यवधान) पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ...(व्यवधान) बता रहा हूं, मुझे बोलने तो दो। ...(व्यवधान) ये बोलने ही नहीं देते, मैं भी सहारा योजना की ही बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान) आप बैठिए तो सही। अध्यक्ष महोदय, इनमें सुनने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। ...(व्यवधान) मैं सही जानकारी दे रहा हूं। आप गुस्सा मत होइए और मेरी बात सुन लीजिए। मैं मेडिकल बोर्ड की स्थिति बता रहा हूं। आप इतने गुस्से में क्यों हो जाते हैं? कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगा? ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात में थोड़ी-सी पृष्ठभूमि स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले मेरी बात सुन लीजिए और आप गुस्सा मत कीजिए। अभी मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ था और आपने बीच में ही बोल दिया।

Speaker : Let him correct. आपने जो कहा है I agree with you कि यह political basis नहीं हो सकता। Please be seated.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महादेय आपको बोलने का बिल्कुल मौका देंगे। आप खुलकर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इनमें सुनने की क्षमता दिन-प्रतिदिन क्यों कम होती जा रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान)

Spekaer : Please ...(Interruption). Please order in the House. We are concluding the Session today. ...(Interruption). Hon'ble Chief Minister is on his legs.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, झूठ बोलने में यदि किसी ने पीएचडी की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सहारा योजना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फायदा उठाया है। मैं यह बात कह रहा हूं तो इसके पीछे कोई न कोई तथ्य अवश्य होगा। सहारा योजना में 88,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 81,820 लोगों को लाभ मिला। आप मेरी बात सुनिए। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित

21.11.2026/1200/DT/DC-3

करना चाहता हूं। मैं आपकी नीयत पर शक कर रहा हूं। आप बेवजह गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा नहीं होना चाहिए

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

21.11.2026/1205/डी0सी0/ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या : 4967 जारी .....मुख्य मंत्री जारी .....

अध्यक्ष महोदय, सहारा योजना में 81,820 लोग रजिस्टर्ड हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा ताकि आपको गुस्सा न आए। मुख्य मंत्री बनने के बाद हमने सहारा योजना को बंद नहीं किया है। हमने इस योजना पर स्टडी की है। स्टडी करने के बाद मैंने पाया कि कई लोगों को सहारा योजना का लाभ क्यों मिल रहा है?सहारा योजना एक अच्छी योजना थी। इसमें जो व्यक्ति अपंग है, बेड रिडन है और चल नहीं सकता, उसके साथ यदि कोई व्यक्ति रहता है या उसकी देखभाल करता है तो उस व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए। यह सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सहारा योजना में इतने लोग कहां से आ गए? मैंने पहले भी बताया था कि नादौन विधान सभा क्षेत्र में 2,864 लोग हैं और सहारा योजना में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमीरपुर जिला में हुए हैं। आप आंकड़े पढ़ लीजिए। हमीरपुर जिला के भोरंज में 3,468 और नादौन में 2,864 लोग रजिस्टर्ड हैं। बाकी जिलों के आंकड़े देखेंगे तो वहां संख्या बहुत कम है। जब मैंने यह देखा तो पाया कि इसमें कई कार्यकर्ताओं के भी लोग शामिल हो गए थे। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। फिर हमने इस योजना को हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर सामाजिक सुरक्षा विभाग को दे दिया, जबकि मेडिकल बोर्ड वही रहेगा। सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर इनका पूरा सत्यापन कर रही हैं। सत्यापन करने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभी तक 4,500 लोगों के नाम भेजे हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी तक 9,569 केस आए हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 15,000 लोगों के मामले सामने आए हैं। लेकिन 81,820 लोगों में से इतने कम लोग ही सारा योजना का फायदा उठाने के लिए सामने आ रहे हैं। मैं यह बात इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप सभी विधायक लोगों द्वारा चुनकर आए हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे सहारे की जरूरत है तो वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या

सहायिका के पास अपना नाम लिखवा सकता है। हम उसे सहारा योजना का लाभ प्रभावी ढंग से देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस बात पर इतना गुस्सा क्यों किया जाता है? हम आपके ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि जब आप पूर्व में मुख्य मंत्री थे, उस समय आपने यह योजना अच्छे उद्देश्य से शुरू की थी। हम आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहे हैं और न ही आपकी भावना पर शक कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, उसे हमह सदन के

21.11.2026/1205/डी0सी0/ए0पी0/-02

सामने रख रहे हैं। आप बताइए, फिर क्या मैं आपको झूठ की पी0एच0डी0 वाला बोलूं या नहीं बोलूं? आप मुझे बोल रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की सहारा योजना को बंद करने की बिल्कुल भी मंशा नहीं है। सहारा योजना के सभी लाभार्थियों की वेरिफिकेशन करना जरूरी है। सभी का वेरिफिकेशन करके उन्हें योजना में शामिल किया जाएगा। मेरे ध्यान में यह बात इसलिए भी आई, क्योंकि मैं मुख्य मंत्री भी रहा हूं और जब मैं एम0एल0ए0 था, उस समय भी मुझे पता रहता था कि किसका सहारा कार्ड कब बन रहा है और कौन बना रहा है। यही मेडिकल बोर्ड सहारा योजना के लिए कार्ड बना रहे हैं। अगर मैं हिमकेयर योजना की तरह इसकी बात करूंगा, तो ये लड़ने आ जाएंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सहारा योजना को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, सहारा योजना एक अच्छी योजना है। मैं आज इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कोई भी एम0एल0ए0 सहारा योजना के लिए किसी पात्र व्यक्ति का मामला लेकर आएगा तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में उस व्यक्ति का मामला रखा जाएगा और मेडिकल बोर्ड के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाएगा। सभी पात्र लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन गलत व्यक्ति को पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस पैसे पर हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता का अधिकार है। क्या हम दूसरों के अधिकार का पैसा भी गलत तरीके से बांटते रहें? इसलिए मैं सहारा योजना के संबंध में आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आप पात्र लोगों के मामले लेकर आइए। अभी तक लगभग 15,000 लोगों के मामले सामने आए हैं। अगर एक महीने के भीतर आप सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से उन सभी पात्र लोगों के मामले लेकर आते हैं, जो पिछली सरकार द्वारा बनाई गई और जो

गाइडलाइंस के तहत इस योजना के लिए पात्र हैं तो हम उन सभी को पेंशन भी देंगे और आर्थिक सहायता भी देंगे। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड लोगों में से इतने कम लोग ही सामने क्यों आ रहे हैं? जो पात्र हैं, उन्हें योजना का लाभ देने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर सत्यापन कर रही हैं। मैं केवल यही बात आपके ध्यान में लाना चाहता था। यही मुझे आपसे कहना था।

प्रश्नकाल समाप्त।

अध्यक्ष : अब आज की कार्यवाही में ...(interruption). Question Hour is over and we have to take up next business also. So, please Hon'ble Leader of Opposition be seated. ...(interruption). विपक्ष को इस सदन में बोलने के लिए पूरा समय दिया गया है।...(Interruption).

Revenue Minister: Under what Rule Leader of Opposition may be allowed to speak. ...(Interruption).

Speaker: This will further aggravate the situation in the House. So, Please ...(Interruption). Hon'ble Chief Minister has already assured.....

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

21.11.2026/1210/AT/HK/01

अध्यक्ष जारी....

...(Interruption) Hon'ble Chief Minister has already assured कि सहारा में जो लिजीबल लोग हैं और अगर उनकी कहीं कोई पेंशन बंद है तो उसकी जानकारी लिस्ट बनाकर दें। Then he will find out कि वो क्यों है। आप बोल रहे हैं कि उसमें बजट नहीं जा रहा है, उनको पेंशन मिल नहीं रही है। Hon'ble Chief Minister will look into all these affairs. ...(Interruption) ये बोला इन्होंने? ....(व्यवधान)क्या इन्होंने ऐसा कहा है? ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी को लगता है कि यह योजना अच्छे उद्देश्य से शुरू की गई है और इसे उसी भावना के साथ चलाया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि सहारा योजना में अपनी पार्टी के लोगों को शामिल किया गया है। मेरी पार्टी के लोग सक्षम हैं और उन्हें सहारा योजना की आवश्यकता नहीं है। इस योजना की आवश्यकता उन लोगों को है, जो जीवित हैं, लेकिन बिस्तर पर पड़े हैं और पानी का गिलास तक स्वयं नहीं उठा सकते। वे अपना खाना भी स्वयं नहीं खा सकते। परिवार के किसी सदस्य को उनकी सहायता के लिए हर समय उनके पास रहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि this should not be part of the record. आपने जो टिप्पणी की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि सच्चाई यह है कि सहारा योजना के अंतर्गत पंजीकृत बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मैं आपको अपने विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत परवाड़ा का एक परिवार गाड़ी में बैठकर मेरे गांव में मेरे घर आया। परिवार के सदस्यों ने मुझसे मुलाकात की और कुछ अन्य कामकाज से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की। बातचीत के बाद उस परिवार की महिला ने मुझसे कहा कि आप गाड़ी तक चलकर आइए। मैंने उनसे कहा कि आपने अपने कागजात ले लिए हैं और अपनी बात सुन ली है, तो फिर मुझे गाड़ी तक आने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि कोई उनसे मिलना नहीं चाहता।

21.11.2026/1210/AT/HK/02

अध्यक्ष महोदय, मेरे घर के सामने ही उनकी गाड़ी खड़ी थी। जब मैं गाड़ी तक गया, तो मैंने देखा कि उसमें एक नौजवान बैठा हुआ था जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी स्पाइनल कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके हाथ-पैर काम नहीं करते थे। उसे क्वाड्रिप्लेजिया (Quadriplegia) की बीमारी थी। उसके हाथों की उंगलियां भी इस प्रकार मुड़ी हुई थीं। मैंने पूछा कि आप इन्हें यहां क्यों लेकर आई हैं? उस महिला ने बताया कि मैं इन्हें बड़ी मुश्किल से उठाकर यहां लाई हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनकी सहारा योजना की सहायता बंद कर दी है। जब मैंने पूछा कि सहारा योजना की सहायता क्यों बंद

की गई तो उन्होंने बताया कि वह स्वयं संबंधित कार्यालय गई थीं। वहां के रिकॉर्ड में इस व्यक्ति को मृत घोषित किया गया था। उन्होंने मुझे संबंधित दस्तावेज भी दिए, जिन्हें मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजा। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को गाड़ी तक लाने और यहां तक पहुंचाने के लिए चार लोगों की सहायता लेनी पड़ी। मैं केवल यह दिखाना चाहती हूं कि सरकार ने इस व्यक्ति को रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया है जबकि वह जीवित है और आपके सामने बैठा है। ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं सामने आई हैं जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली हैं। मुख्य मंत्री जी, आप इस बात पर हंस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अधिक दुखद कोई बात नहीं हो सकती।

मुख्य मंत्री : मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा हूं बल्कि मेरे बगल में बैठे मेरे साथी की बात पर मुस्कुरा रहा था।

श्री जय राम ठाकुर : यह सच्चाई है। ...(व्यवधान)आप इनकी बातों में मत आओ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के आरोप न लगाएं। यदि योजना में कोई कमी है और उसमें सुधार या कोई नया प्रावधान जोड़ने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से ऐसा कीजिए। लेकिन इस तरह के आरोप मत लगाइए। हमने उन लोगों के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की सहायता का प्रावधान किया है, जो जीवित हैं, लेकिन असहाय और लाचार हैं तथा बिस्तर पर पड़े हैं। मेडिकल बोर्ड से विधिवत प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें इस योजना में शामिल किया जाता है। ऐसे में यह कहना कि हमने अपनी पार्टी के लोगों को इस योजना में शामिल किया है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी इस टिप्पणी के लिए इस माननीय सदन में माफी मांगनी चाहिए। यह एक गंभीर टिप्पणी है और उन लोगों के प्रति की गई है जो अत्यंत पीड़ा और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। सहारा योजना के अंतर्गत पिछले पांच-पांच और छह-

21.11.2026/1210/AT/HK/03

छह महीनों से लोगों को सहायता राशि नहीं मिली है। आपने योजना बंद नहीं की है लेकिन सहायता राशि देना बंद कर दिया है। यदि पैसा देना ही बंद कर दिया गया है तो फिर उस

योजना का क्या करेंगे? उसका योजना का उद्देश्य क्या रह जाता है? जो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है,

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी.....

21.11.2026/1215/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
श्री जय राम ठाकुर.... जारी

अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर टिप्पणी है और उन लोगों के प्रति की गई टिप्पणी है जो पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। आपने उनके बारे में टिप्पणी की है। 'सहारा योजना' के लाभार्थियों को पांच-पांच और छह-छह महीने से पैसा नहीं मिला है। आपने योजना बंद नहीं की है लेकिन पैसा देना बंद कर दिया है। जब पैसा देना ही बंद कर दिया तो उस योजना का क्या औचित्य रह जाता है? उस योजना का अभिप्राय कहां रह जाता है? जो व्यक्ति बिस्तर पर है और जिसका दवाई का खर्च उठाना पड़ता है, उसके लिए आपने पैसा देना बंद कर दिया तो उस योजना को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए मुख्य को अपनी टिप्पणी के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही कि आदमी को मार दिया, ऐसा सरकारें नहीं करती हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लें। आपने जब मुख्य मंत्री रहते हुए मृत लोगों के तबादले कर दिए तो क्या वे आपने किए थे? ...(व्यवधान) ऐसा हुआ है। मृत लोगों के तबादले कर दिए गए। हमने उसी समय बता दिया था कि आपने मृत लोगों के तबादले कर दिए। ...(व्यवधान)

Speaker : Please, please ...(Interruption) Order in the House please. ...(Interruption) Please, please ...(Interruption) Please, please take your seats. ...(Interruption) Hon'ble Chief Minister, please conclude now.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी यह नहीं कहा कि 'सहारा योजना' में पात्र लोगों को हम पैसे नहीं देंगे। इनके क्षेत्र में जिस महिला को मृत घोषित किया गया है, जो 'सहारा योजना' की लाभार्थी थी, **मैं उसकी इंक्वायरी करवाऊंगा और निश्चित रूप से**

करवाऊंगा। यदि किसी ने ऐसा किया है तथा वह महिला 'सहारा योजना' के तहत लाभ प्राप्त कर रही थी और इस योजना का लाभ इनके समय निर्धारित किए गए पैरामीटर्स के अनुसार उसे मिल रहा था तो उसकी जांच करवाई जाएगी।

मैं आज आपसे और सभी सदस्यों से फिर कहना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा पात्र व्यक्ति है तो उसका नाम वेलफेयर डिपार्टमेंट में लिखवा दीजिए। हमारे अधिकारी उसका वेरिफाई कर देंगे। मैं सदन में घोषणा करता हूं कि 20 दिसंबर तक 'सहारा योजना' में

21.11.2026/1215/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

आपने जितने भी लोगों के नाम दिए हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी पात्र लोग हैं, हम उन सभी को पेंशन देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय स्टेटमेंट देना चाहते हैं। हमारे पास इसकी कॉपी आ गई है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की धर्मशाला में स्थायी पीठ (परमानेंट बेंच) की स्थापना के संबंध में संकल्प है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) भारत के राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्थायी पीठ स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है क्योंकि कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निवास करने वाले वादकारियों और आम जनता को शिमला स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ से लंबी भौगोलिक दूरी और दुर्गम मार्गों के कारण समय पर न्याय प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें भारी वित्तीय बोझ और अनावश्यक विलंब भी झेलना पड़ता है। चूंकि कांगड़ा जिला तथा निचले हिमाचल के अन्य जिलों में लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या को देखते हुए नागरिकों को उनके द्वार पर त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित पीठ की स्थापना को पुनः न्यायोचित ठहराती है।

अतः अब यह सदन सर्वसम्मति से संकल्प पारित करता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना के लिए भारत सरकार को तत्काल औपचारिक एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

यह भी संकल्प लिया जाता है कि उक्त पीठ को शीघ्र अतिशीघ्र कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक समस्त भूमि, न्यायालय भवन, आवासीय परिसर, डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के प्रति राज्य सरकार अपनी पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

21.11.2026/1215/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह पहल शिमला के महत्व को कम करने के लिए नहीं है बल्कि प्रदेश के अधिक-से-अधिक लोगों को सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्थायी पीठ स्थापित करने की बात है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, आप कुछ और कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के लिए एक और गौरव की बात है। मैं वह स्टेटमेंट भी देना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अत्यंत गर्व और प्रसन्नता

एन0एस0 द्वारा ... जारी

21-11-2-2026/1220/NS-YK/1

मुख्य मंत्री-----जारी

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के लिए यह बड़े गर्व की बात है। मुझे अत्यंत गर्व और प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस सदन के माध्यम से समस्त हिमाचलवासियों को एक ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देना चाहता हूं। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा 27वीं बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश पुलिस की महिला टीम ने इतिहास रचा है। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस प्रतियोगिता में हमारी महिला बिगुलर टीम ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश की इन बेटियों ने न केवल प्रदेश का मान बढ़ाया है बल्कि यह भी साबित किया है कि जब लगन और समर्पण मिलता है तो नया इतिहास रचा जाता है। मैं सदन और पूरे प्रदेश की ओर से इन वीरांगनाओं को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं टीम के सभी सदस्यों के लिए 50,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा करता हूं। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी अवसर पर मैं दूसरी महिला बटालियन के गठन की भी घोषणा करता हूं जो आने वाले समय में पुलिस की दूसरी महिला बटालियन होगी।

21-11-2-2026/1220/NS-YK/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग निगम विहार, शिमला का 54वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25; और

(ii) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5 ।

विधेयक पर विचार-विमर्श और पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 व विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

" शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 19) पारित हुआ"

अगला बिल ----आर0के0एस0 द्वारा-----जारी

21.11.2026/1225/RKS/YK-1

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं और माननीय उद्योग मंत्री इसका उत्तर देंगे। माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी क्या आप बोलना चाह रहे हैं?

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) लाया गया है यह बिल तब लाया गया है जबकि प्रदेश में पहले से ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी हुई है। वर्ष 2019 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो-जो विषय दिए गए हैं वे सभी इस विधेयक में भी शामिल हैं। ऐसे में आज इस एक्ट की क्या आवश्यकता पड़ी? कृपया यह बताएं। यह एक्ट इतनी देरी से क्यों लाया जा रहा है और इसकी इम्प्लीमैंटेशन कब होगी? इसके साथ ही प्रदेश में हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो इन्वेस्टमैंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, 2018 भी लागू है। क्या आपने उसमें कोई अमेंडमैंट की है? क्या उस एक्ट के प्रावधानों को भी इस नए एक्ट का हिस्सा बनाया गया है? इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यह व्यवस्था दी गई थी कि हिमाचल प्रदेश के 80 प्रतिशत नौजवानों को इंडस्ट्री में रोजगार मिलेगा। लेकिन इस विधेयक में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस व्यवस्था को विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया है? ये कुछ विषय हैं जिन पर मुझे संदेह है। कृपया उद्योग मंत्री इनका स्पष्टीकरण दें।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय बिक्रम सिंह जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पहले कोई इंडस्ट्रियल एक्ट नहीं था और केवल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती थी। जबकि देश के बहुत-से राज्यों में इंडस्ट्रियल एक्ट बनाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डवैल्पमेंट एक्ट, 1961, कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवैल्पमेंट एक्ट, 1966, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डवैल्पमेंट एक्ट, 1976 और गोवा इंडस्ट्रियल डवैल्पमेंट एक्ट बनाए गए हैं। पॉलिसी और एक्ट में अंतर होता है।

21.11.2026/1225/RKS/YK-2

सरकारें समय-समय पर पॉलिसी बनाती रहती हैं। पॉलिसी फ्लैक्सिबल होती है और उसकी अलग-अलग प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। उसे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार इंटरप्रेट किया जा सकता है। हम यह एक्ट इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के एक्ट बनाए गए हैं। इसके माध्यम से हम अपनी पॉलिसी को एक लीगल फ्रेमवर्क दे रहे हैं ताकि उसमें स्पष्टता सुनिश्चित हो सके। यह एक्ट लाने का एक प्रमुख उद्देश्य है। जहां तक आपके द्वारा सिंगल विंडो एक्ट, 2018 का उल्लेख किया गया है तो वह एक्ट वर्ष 2018 में पास जरूर हुआ था लेकिन उसे इम्प्लीमैंट नहीं किया गया। उसे नल एंड वॉइड कर दिया गया था क्योंकि उसमें अन्य विभागों के लिए पीनल प्रोविजन किए गए थे। इसमें यह व्यवस्था थी कि यदि संबंधित विभाग एन0ओ0सी0 जारी नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। चाहे वह पॉल्यूशन विभाग हो या एनवायरनमैंट विभाग। इन्हीं कारणों से उस एक्ट को रोक दिया गया था। अब हमने एक्ट बनाया है कि संबंधित विभागों द्वारा जो एन0ओ0सी0 जारी की जाएगी वह ऑटोमेटिकली डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन जारी होंगी। हमने लेटेस्ट टैक्नोलॉजी के अनुरूप सभी प्रावधान किए हैं तथा इस व्यवस्था को कानूनी वैधता देने का भी प्रयास किया है ताकि उद्योगपतियों द्वारा न्यायालयों में इसका अनुचित लाभ न उठाया जा सके। बहुत सारे मामलों में प्रावधानों की व्याख्या गलत हो जाती है इसी कारण हमने इन प्रावधानों को शामिल किया है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने की बात कही गई है तो यह हमारी पॉलिसी में पहले से ही प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए जाएंगे उनमें भी इन सभी प्रावधानों को शामिल किया जाएगा ताकि उद्योगों को सुविधाएं मिल सकें और राज्य को न्यायालयों में मुकदमेबाजी के मामलों में भी कानूनी लाभ प्राप्त हो सके।

श्री बिक्रम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह व्यवस्था पॉलिसी में है और इस एक्ट में भी की जाएगी। मेरा कहना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने का जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसका इस एक्ट में कहीं उल्लेख ही नहीं है। यदि यह प्रावधान इसमें शामिल नहीं है तो इसका क्या कारण है? दूसरी बात यह है कि आपने वर्ष 2018 के एक्ट पर कोई काम ही नहीं किया।

आपने उसे कभी देखा तक नहीं। ऐसा क्यों किया गया? जब उस एक्ट में भी वही व्यवस्थाएं थीं जिन्हें अब आप इस एक्ट में शामिल कर रहे हैं तो सरकार

21.11.2026/1225/RKS/YK-3

ने वर्ष 2018 के अधिनियम पर काम क्यों नहीं किया? आपने स्वयं इसका उल्लेख किया है। उस अधिनियम में सभी व्यवस्थाएं दी गई थीं। उसमें यह बताया गया था कि प्रमोशन्स कैसे करनी हैं, जोन कैसे बनाने हैं औ निजी भूमि कैसे लेनी है। इसके बावजूद आपने 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने का प्रावधान उसमें क्यों नहीं किया? इसलिए आप यहां सदन में यह आश्वासन दें कि इस प्रावधान को इसमें शामिल किया जाएगा।

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री ।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

21.11.2026/1230/बी.एस./ए.जी.-1

उद्योग मंत्री जारी...

आप ये भूल रहे हैं कि वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय श्री बिक्रम सिंह जी उद्योग मंत्री थे। इस एक्ट को इम्प्लीमैंट तो आपको करना था। हमने थोड़ी इम्प्लीमैंट करना था।

श्री बिक्रम सिंह : हमने इसे इम्प्लीमैंट किया है।

उद्योग मंत्री : आपने इसे कहां इम्प्लीमैंट किया? आपका जो एक्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अर्थात इन्वेस्टमैंट एक्ट, वह आपके कार्यकाल में ही समाप्त कर दिया गया था। आपने उसका इम्प्लीमैंटेशन ही नहीं किया। वह एक्ट नल एंड वॉइड हो गया था। आपने ही उस एक्ट को नल एंड वॉइड किया था। ...(Interruption)

हम जो एक्ट ला रहे हैं वह नया एक्ट है। इसमें अभी रूल्स बनाए जाएंगे। आप जिस प्रावधान की बात कर रहे हैं उसके लिए रूल्स बनेंगे। पहले हम इस बिल को सदन से पास करवाएंगे और उसके बाद रूल्स बनाए जाएंगे। आप इम्प्लीमैंटेशन के जितने भी एंगल की बात कर रहे हैं उन सभी को रूल्स में फ्रेम करेंगे। एक्ट से ही तो हमें रूल्स बनाने की स्ट्रेंथ मिलेगी। इसमें अभी रूल्स नहीं आएंगे और इसमें 80 प्रतिशत वाला प्रावधान इसमें नहीं आएगा। हमने अभी केवल ब्रॉड गाइडलाइंस के आधार पर एक एक्ट फ्रेम किया है। अब इसके रूल्स बनाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि it is in the interest of the State and in the interest of the promotion of the industries. इसलिए इस एक्ट को पास किया जाए। ...(Interruption)

Speaker: He will take care and that is his prerogative also.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, जब बिल पास हो गया तो वह एक्ट नल एंड वॉइड कैसे हो गया?

Speaker: Industries Minister, please reply to this query.

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष अपना फेलियर हम पर डाल रहे हैं। आपने एक्ट पास किया था लेकिन उस एक्ट को नोटिफाई नहीं किया गया। वर्ष 2018 में जो एक्ट पास हुआ

21.11.2026/1230/बी.एस./ए.जी.-2

था वह कभी लागू ही नहीं हुआ क्योंकि उसकी कमिशनमेंट डेट कभी नोटिफाई ही नहीं की गई। आपने उस एक्ट को नोटिफाई ही नहीं किया।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने चार साल तक इस एक्ट को क्यों नहीं लाया? ...(Interruption)

Speaker: No interruption please.

उद्योग मंत्री : हम तो नया एक्ट ला रहे हैं। हम नया एक्ट लाए हैं। हम बार-बार कह रहे हैं कि हर प्रावधान पहले एक्ट में बनता है। उसके बाद रूल्स बनाए जाते हैं। जो बारीकी की चीजें हैं वे रूल्स में आएंगी। उन सभी को रूल्स में डाल दिया जाएगा। हम 80 प्रतिशत वाला प्रावधान भी रूल्स में डालेंगे जिससे ये और अधिक स्ट्रेंथ मिलेगी। इससे उद्योगों में 80 प्रतिशत की वायलेशन होने पर कार्रवाई करने के लिए हमें और अधिक शक्ति मिलेगी। It is in the interest of the industries and in the interest of the State.

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 25 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 और 25 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

21.11.2026/1230/बी.एस./ए.जी.-3

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

" हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 17) पारित हुआ"

अब उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

21.11.2026/1230/बी.एस./ए.जी.-4

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि . हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

" हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 18) पारित हुआ"

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

21.11.2026/1235/DT/AG-1

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : क्या कोई माननीय सदस्य इस बिल पर बोलना चाहेंगे। मुझे लगता है कि काई माननीय सदस्य इस पर नहीं बोलना चाह रहा है।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

Before passing the Bill, Industries Minsiter wants to say something.

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस बिल लाने के उद्देश्य के बारे में मैं सभी माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं। हमने यह विधेयक Ease of Doing Business के लिए लाया है। इसमें 16 अधिनियमों में जो दण्डात्मक प्रावधान किए गए थे उन्हें संशोधित किया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है जैसे किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया या किसी पेस्टिसाइड की दुकान में कोई ऐसी वस्तु पाई जाती है जो निर्धारित नहीं है तो संबंधित अधिनियम में एक महीने, तीन महीने या छह महीने की सजा का प्रावधान था। हमने इन प्रावधानों के तहत सजा को समाप्त करके केवल पेनल्टी का प्रावधान किया है। इन 16 अधिनियमों को एक साथ सम्मिलित करके इस विधेयक में उनके प्रावधान किए गए हैं ताकि लोगों को काम करना आसान हो जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश हैं कि Ease of Doing Business को बढ़ावा दिया जाए और Penal Provisions को कम किया जाए ताकि न्यायालयों में अनावश्यक Litigation कम हो सके। कई ऐसे मामले न्यायालयों में लंबित रहते हैं जो अनावश्यक हैं जबकि वास्तविक मामलों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसलिए न्यायालयों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के उद्देश्य से भी यह संशोधन किया गया है। जो हमारे निचले लैवल के Inspectors या अन्य अधिकारी होते हैं वे कारोबारियों विशेषकर छोटे कारोबारियों का

शोषण करते थे। अगर किसी कारोबारी ने Return File नहीं की तो पहले उसे छह महीने या दो महीने की सजा का प्रावधान था। इस प्रकार के सभी प्रावधानों को संकलित करके

हमने उनमें संशोधन किया है और जो Strong Provisions और Penal Provisions थे उन्हें हटाकर केवल Penalty के आधार पर कार्रवाई करने का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष : अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक का अंग बनें।

अब प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

21.11.2026/1240/ ए0एस0/ए0पी0/-01

अध्यक्ष जारी .....

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

उद्योग मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 21) पारित हुआ।

21.11.2026/1240/ ए0एस0/ए0पी0/-02

अध्यक्षः अब माननीय आयुष मंत्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

आयुष मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

21.11.2026/1240/ ए0एस0/ए0पी0/-02

अध्यक्षः अब माननीय आयुष मन्त्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

आयुष मन्त्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 22) पारित हुआ।

अध्यक्षः अब माननीय आयुष मंत्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) पर विचार किया जाए।

आयुष मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

मुख्य मंत्रीः सरकार ने सेक्शन 37 (2) में क्लॉज 7 को निरस्त करने के बारे में संशोधन दिया है जिसे मैं प्रस्तुत करता हूंः-

Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994		
Motion of no confidence against Mayor or Deputy Mayor: **Section 37(2) of Act is as under:** Where a notice of intention to move a resolution requiring the Mayor or the Deputy Mayor of the Corporation to vacate his office, signed by not less than **two-third** of its total elected Councillors is given and if a motion of no confidence is carried by a resolution passed by a majority of elected Councillors present and voting at its general or special meeting, the quorum of which is not less than three-fourth of its total elected members, the Mayor or the Deputy Mayor against whom such resolution is passed shall cease to hold office forthwith.	Motion of no confidence against Mayor or Deputy Mayor: In Section 37(2) of Act ibid, the word "**two-third**" shall be substituted with the word " **Majority**".	Vide Section 37(2) of H.P. Municipal Corporation Act, 1994, there is a provision that where a notice of intension to move a resolution requiring the Mayor and Deputy Mayor of the Corporation, to vacate his office, signed by not less than two-third of its total elected councillors is given, which is contrary to the provisions exists in Section 25(2) of the H.P. Municipal Act, 1994 for Motion of No-Confidence against President or Vice President of Municipal Councils and Nagar Panchayats. Therefore, in order to make conformity in section 37(2) of H.P. Municipal Corporation Act,1994 and in Section 25(2) of the H.P. Municipal Act, 1994, this amendment is proposed. Exactly same provision also exists in Section 129(2) of H.P. Panchayati Raj Act, 1994 to remove the Chairman/Vice Chairman of Zila Parishads and Panchayat Samitis.

Note:- (i) Section 37 were deleted vide **Act No. 11 of 2010.**

(ii) Section 37 inserted **vide Act 48 of 2013.**

(iii) Section 37(2) inserted **vide Act No. 1 of 2021** "**not less than two-third** of its total elected Councilors is given and if a motion of no confidence is carried by a resolution passed by a majority of elected Councilors present and voting at its general or special meeting, the quorum of which is **not less than three-fourth** of its total elected members, the Mayor or the Deputy Mayor against whom such resolution is passed shall cease to hold office forthwith.

अध्यक्ष : खण्ड-7 पर सरकार की ओर से भी संशोधन आए है जिसमें खण्ड-7 को निरस्त करने बारे बात की है।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-7 में जो संशोधन सरकार की ओर से आया है उसे स्वीकार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
संशोधन स्वीकार हुआ।
खण्ड-7 निरस्त हुआ।

खण्ड- 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 व 16 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अध्यक्षः अब माननीय आयुष मन्त्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को पारित किया जाए।

आयुष मन्त्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 28) संशोधित रूप में पारित हुआ।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

21.11.2026/1245/AT/AS/01

नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम 344 के अंतर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि ये सदन इस मत का है कि वर्ष 2026 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकों में से तीन बैठके न हो पाने के कारण फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलंबित किया

अध्यक्षः तो प्रश्न ये है कि सदन इस मत का है कि वर्ष 2026 में सभा की न्यूनतम 35 बैठकों में से तीन बैठके न होने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलंबित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अध्यक्ष : अब सत्र समाप्ति की तरफ जा रहा है...(व्यवधान) मुख्य मंत्री महोदय।

अध्यक्षः अब सत्र का समापन होने जा रहा है। आज शीतकालीन सत्र समाप्ति की ओर है और अभी हमारे पास कुछ समय शेष है।...(व्यवधान) माननीय प्रका राणा जी।

21.11.2026/1245/AT/AS/02

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में अपने क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या लाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों की पासिंग कांगू जो सुंदरनगर तहसील में है। व्यावसायिक वाहनों में थ्री-व्हीलर, टैक्सी तथा छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं। जोगिंदरनगर से कांगू की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। एक थ्री-व्हीलर को भी पासिंग करवाने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करके कांगू जाना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर वहां प्रतिदिन धरना-प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे इस गंभीर समस्या के संबंध में सदन को अवगत करवाएं।

21.11.2026/1245/AT/AS/03

Speaker : Hon'ble Chief Minister will reply to his query only.

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य ने एटीएस (ATS) के अंतर्गत होने वाली वाहन पासिंग का विषय उठाया है। मैं इस मामले पर विचार करूंगा। यह उप-मुख्यमंत्री जी के विभाग से संबंधित विषय है। आपने जो सुझाव दिया है कि वाहनों की मैनुअल पासिंग की व्यवस्था होनी चाहिए उस संबंध में भी विचार-विमर्श करके आपको अवगत करवाऊंगा। यह सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है कि किसी वाहन को पासिंग करवाने के लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े। इस संबंध में स्थानीय एस0डी0एम0 को पासिंग की अनुमति देने की व्यवस्था की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि ऐसा करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी.....

21.11.2026/1250/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

Speaker : Hon'ble Chief Minister reply to Hon'ble Member's query only.

मुख्य मंत्री : ए0टी0एस0 के तहत जो थ्री व्हीलर की पासिंग हो रही है, आपने उसके बारे में बात की है। मैं इस विषय पर गौर करूंगा क्योंकि यह उप-मुख्य मंत्री से संबंधित विषय है। आपने थ्री व्हीलर की पासिंग के लिए मैनुअल बनाने की जो बात कही है, उस पर चर्चा करके मैं आपको बता दूंगा कि यह किस प्रकार संभव हो सकता है। यह सरकार इस मामले में गंभीर है कि किसी थ्री व्हीलर को पास करवाने के लिए 100 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। इसके लिए लोकल एस0डी0एम0 को अथॉरिटी देने के विषय पर कानून के पहलुओं का अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष : अब सत्र समाप्ति की ओर है। क्या सदन के नेता कुछ कहना चाहेंगे? ...(Interruption). श्री चंद्र शेखर जी, we are concluding, just wait for five minutes. मुख्य मंत्री महोदय, would you like to speak?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का शीतकालीन सत्र समापन की ओर जा रहा है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद आपने आज पूरे दिन अपनी तबीयत खराब होने की स्थिति में भी विधेयकों को पारित करवाने के लिए अपना समय दिया।

मैं विधान सभा कार्यालय के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों, सभी संबंधित विधायकों तथा पुलिस कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे 6 दिन लगातार सदन की कार्यप्रणाली को देखते रहे। वे प्रश्नों के उत्तर तैयार करने, प्रश्न पूछने तथा नोटिस आने और उनके जवाब देने की पूरी प्रक्रिया को कवर करते रहे। इन सभी कार्यों में लगे सरकार के कर्मचारियों और हमारे सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।

मैं उन प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो विधान सभा की कार्यवाही देखने आए हैं। वे यहां से कुछ सीखकर जाएंगे कि विधान सभा में किस प्रकार प्रश्न उठाए जाते हैं और किस प्रकार प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं।

21.11.2026/1250/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम हर बार नियम-67 की उस गरिमा को भी प्रभावित कर रहे हैं जिसके तहत काम रोको प्रस्ताव लाने के कारण विधान सभा के सदस्यों द्वारा 4 दिन तक पूछे जाने वाले प्रश्न छूट जाते हैं। आपका भी प्रयास रहता है कि सरकार इस प्रस्ताव को रिजैक्ट करे लेकिन हम आपके सभी प्रयासों के साथ सहमति बनाकर लोकतंत्र में नियम-67 के तहत ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं। चाहे वह भ्रष्टाचार से संबंधित मामला हो या 'हिमाचल ऑन सेल' से संबंधित मामला हो, हमने सभी प्रकार के काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमेशा विपक्ष को भी उचित समय दिया है। आप सत्ता पक्ष की अपेक्षा विपक्ष की तरफ अधिक देखते हैं और उन्हें अधिक समय भी देते हैं। सत्ता पक्ष के कई विधायकों की शिकायत रहती है कि जब हम हाथ खड़ा करते हैं तो आप हमारी तरफ देखते ही नहीं और विपक्ष की तरफ ही देखते रहते हैं लेकिन मैं विपक्ष से भी एक बात प्रार्थना करना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप हमेशा अपनी बात रखते हैं और तर्क के साथ रखते हैं लेकिन कई बार दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। हम कहते हैं कि हमें बोलने तो दो। कल आप 'हिमाचल ऑन सेल' के विषय पर काम रोको प्रस्ताव लेकर आए थे। उस समय आपको हमारी बात भी सुननी चाहिए थी और उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने हमारी बात नहीं सुनी। जब बेंच खाली होती हैं तो हमें भी खाली बेंचों के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि खाली बेंचों को सुनाने का वह मजा नहीं आता जो आपके सामने बैठे होने पर आता है। जब आप सामने बैठे होते हैं तो बात-चीत भी होती है और उसमें टोका-टाकी भी होती है। इन सब बातों का अपना एक अलग ही आनंद होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई कि विधान सभा ने इस सदन में 13 विधेयक को पारित किया। इसके अतिरिक्त हमने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जो प्रदेश की संपदा से जुड़े हुए थे।

पहला विधेयक उन बच्चों के लिए था जिनके लिए हमारी योजना धरातल पर चल रही थी लेकिन सरकारें आती हैं और योजनाएं बदल जाती हैं। हमने उन बच्चों को कानूनी अधिकार दिया है जिन्होंने अपने माता-पिता या माता अथवा पिता को खो दिया है। ऐसे

बच्चे अपना जीवन-यापन कैसे करेंगे, इसके लिए आज हमने उन्हें कानूनी रूप से अधिकार प्रदान किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए विधान सभा के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जब किसी बच्चे के माता-पिता का देहांत हो जाता है तो उसे आगे कुछ समझ नहीं आता। छोटा बच्चा जो 7 साल, 12 साल, 15 साल या 18 साल का हो सकता है,

18 साल की उम्र में भी बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता जितना हम समझते हैं। इसलिए हमने उस अधिकार की आयु सीमा बढ़ाकर 27 साल तक की है। इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को बड़ी खुशी होगी। इस योजना में विधवा महिलाएं भी शामिल हैं,

एन0एस0 द्वारा ... जारी

21-11-2-2026/1255/NS-DC/1

मुख्य मंत्री -----जारी

जिनके बच्चे आई0आई0टी0, आई0आई0एम0 और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इस कानून के प्रावधानों के तहत उन्हें भी लाभ मिलेगा। देश में पहली बार ऐसी योजना लाई गई है जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक उसके खाते में प्रतिमाह 1000 रुपये जमा किए जाएंगे। 14 से 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये तथा 18 से 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये उसके खाते में जमा किए जाएंगे। उसकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। आपके विधान सभा क्षेत्र में भी यदि कोई ऐसा बच्चा है जो अपने मामा या दादा के पास रह रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। यदि उसने पढ़ाई पूरी कर ली है और 27 वर्ष की आयु पार कर ली है तो उसकी शादी और मकान का खर्च सरकार देगी। विधवा बहनों तथा परित्यक्ता महिलाओं का खर्च भी सरकार उठाएगी। अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा के शीतकालीन सत्र में एक अच्छा पुण्य कार्य हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, कई वर्षों से जिस उद्देश्य के लिए जमीन ली गई थी और उसके संबंध में राजस्व मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि बी0बी0एम0बी0 के पास हम विस्थापित बने। हमें जमीनें दी गईं लेकिन आज भी बी0बी0एम0बी0, एन0टी0पी0सी0, एच0पी0एन0एल0 तथा कई निजी एजेंसियों के पास सैकड़ों बीघे जमीन उपलब्ध है जबकि हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास जमीन नहीं है। प्रदेश की 75 लाख आबादी के पास केवल 27 प्रतिशत जमीन है। हम उस जमीन को लेना चाहते थे ताकि वन क्षेत्र के अधीन 68 प्रतिशत भूमि आती हे और कई लोग वन क्षेत्र में रह रहे हैं। मैं सिराज गया था। सिराज विधान सभा क्षेत्र में कई लोगों के घर भी वन क्षेत्र में बने हुए हैं। वे कहते हैं कि हमें यहां नहीं रहना है और हमारी जमीन पर हमें स्थानांतरित कर दिया जाए। सिराज में सबसे अधिक घटनाएं बादल फटने की हुई हैं। अब यदि उन लोगों को स्थानांतरित किया जाना है तो

उनके लिए जमीन कहां से उपलब्ध होगी? इसलिए प्रोजैक्ट के लिए जितनी जमीन का इस्तेमाल आवश्यक था उतनी जमीन प्रोजैक्ट को दे दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रोजैक्ट द्वारा जो जमीन इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है उसका सरकार अधिग्रहण करेगी। यह प्रदेश की संपदा के हित में अधिग्रहण करने का एक महत्वपूर्ण विधेयक है। हमारी सरकार प्रदेश के अधिकारों की यह लड़ाई लड़ रही है।

21-11-2-2026/1255/NS-DC/2

तीसरा विषय हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के क्लिंकर से संबंधित है। यहां से क्लिंकर बाहर जाता है और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के बाहर सीमेंट कारखाने लगाए गए हैं। वहां क्लिंकर से सीमेंट तैयार किया जाता है और वह सीमेंट चंडीगढ़ में सस्ता मिलता है जबकि हिमाचल प्रदेश में महंगा आता है। हमने यह प्रावधान किसी ट्रांसपोर्टर पर नहीं लगाया है। पहले इसका अध्ययन किया और उसके बाद यह निर्णय लिया है कि बाहर जाने वाले क्लिंकर पर यह शुल्क लगेगा। वहां जो सीमेंट का निर्माण करेंगे उस पर यह शुल्क लागू होगा। यह भी एक अच्छा विधेयक है। यह कोई सैस नहीं है और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता पर कोई ऐसा सैस नहीं लगाया है। हम सभी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और एक सेल्फ-रिलायंट स्टेट बने। वर्ष 2032 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से लाए गए नीतिगत बदलावों के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। हमारी सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। आगे बजट सत्र होना है और बजट सत्र के समय भी हम कई अन्य पहलुओं पर विचार कर रहे हैं तथा हमारी सरकार उन पहलूओं का अध्ययन कर रही है। कई कानून 40-40 वर्ष पुराने और दकियानूसी हो चुके हैं तथा वर्तमान समय में उनका कोई औचित्य नहीं रहा है। उन सभी कानूनों का भी हमारी सरकार अध्ययन कर रही है। इन सबके बावजूद इस शीतकालीन सत्र में हमारे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। विपक्ष के नेता माननीय श्री जय राम ठाकुर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जो गलत बोलता है हम उसके बारे में बोलते हैं और जो सही है हम हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है। आप लोग हमें सरकार की कमियों से भी अवगत करवाते हैं कि सरकार में

कहां कमियां हैं। अधिकारी स्तर पर भी कई बार कमियां होती हैं और राजनीतिक स्तर पर भी कई बार कमियां होती हैं। आप हमें उन कमियों से भी अवगत करवाते हैं।

आर0के0एस0 द्वारा-----जारी

21.11.2026/1300/RKS/HK-1

मुख्य मंत्री ...जारी

हमारी कोशिश रहती है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हम सब मिलकर इन कमियों और खामियों को दूर करें तथा हिमाचल प्रदेश को एक समृद्धशाली राज्य बनाएं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से लगातार आपसे इनटच हूं और जिस प्रकार आपको बुखार आ रहा है आप उसे अच्छी तरह चैक-अप करवाएं। आपका बुखार बिगड़ रहा है। ऐसे में आपने जिस प्रकार का सहयोग और योगदान दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बीमारी की हालत में भी आप सदन में उपस्थित रहे। विधान सभा आपके इस योगदान को हमेशा याद रखेगी। मैं कांगड़ा के संबंध में भी एक बात कहना चाहता हूं। हमने एक संकल्प लिया है कि कांगड़ा में 2 न्यायाधीशों की एक स्थायी बेंच स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। यह कांगड़ा के लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। यह हमारा एक प्रयास है और इस प्रयास को हम कितना अमलीजामा पहना पाते हैं यह देखना होगा। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता और असफलता तो जीवन में मिलती रहती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भविष्य के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। वर्तमान में तो हम यहां हैं ही लेकिन भविष्य की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा सिखाकर जाएं और उनके लिए कुछ अच्छा करके जाएं। इसका लाभ भविष्य की पीढ़ी के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और पूरे देश को भी मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं सभी सम्मानित मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में पूरा समय दिया। मैं सभी सम्मानित विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से मैं पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी सुरक्षा में दिन-रात लगे रहते हैं। उनके मन में भी यह

तनाव रहता है कि कहीं किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो जाए। मैं उनके इस दायित्व और योगदान के लिए भी उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सदन में उपस्थित पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। एक मामला आदरणीय खड़गे जी के संबंध में सामने आया है। माननीय सुरेश कुमार जी ने मेरे ध्यान में लाया है कि दैनिक सवेरा समाचार पत्र में उनके नारे के संबंध में कुछ उल्लेख किया गया है और इस मामले में प्रिविलेज मोशन के नियमों के तहत कार्रवाई करने का विषय भी सामने आया है। सरकार की ओर से भी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपने उसमें यह व्यवस्था दी थी कि

21.11.2026/1300/RKS/HK-2

'नोट टू बी रिकॉर्डिड'। विपक्ष की ओर से सदन के अंदर लगाए जाने वाले नारों की शब्दावली को किसी भी व्यक्ति को बाहर लिखने का अधिकार नहीं है। किसी भी पत्रकार बंधु को ऐसा अधिकार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं श्री विपिन सिंह परमार जी, श्री बिक्रम सिंह जी, श्री रणधीर शर्मा जी और श्री त्रिलोक जम्वाल जी तथा अन्य सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी विधायक के रूप में अपना योगदान देते हैं। हमें आशा है कि अगले सत्र में भी हम इसी सदन में और इसी प्रकार बैठे मिलेंगे। आपको आशा है कि हम इस तरफ बैठें और हर व्यक्ति आशाओं और उम्मीदों के सहारे ही जीवन जीता है। यह जनता ने तय करना होता है और हम अपनी आशाओं एवं उम्मीदों के सहारे ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। सफलता मिले या न मिले यह अलग बात है लेकिन हमारा प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। श्री पवन कुमार काजल जी हाथ हिला रहे थे। श्री पवन कुमार काजल जी आप पहले ही सत्ता में आ जाते यदि आप व्यवस्था परिवर्तन के दौर में न फंसे होते। फिर भी आपकी अपनी विचारधारा और अपनी सोच है। हम सबका यह प्रयास रहना चाहिए कि हम मिलकर इस प्रदेश को समृद्धिशाली बनाएं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखें। मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं दरवान जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इन्हें भी काफी समय तक खड़े रहना पड़ता है। आप सभी लोगों को काफी समय तक खड़ा रहना पड़ता है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

21.11.2026/1300/RKS/HK-3

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और हम इसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं। 6 दिन का यह शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित किया गया है। इस बार इसका आयोजन समय से पहले किया गया है। आमतौर पर यह सत्र दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यानी 20 दिसंबर के बाद आयोजित किया जाता था। हालांकि माननीय मुख्य मंत्री और आपसे इस संबंध में हमने निवेदन भी किया था

श्री बी0एस0द्वारा जारी

21.11.2026/1305/बी.एस./एच.के.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

अध्यक्ष महोदय, सत्र आयोजित करना सरकार की प्राथमिकता रही होगी और इसलिए शायद मुख्य मंत्री जी की कोई मजबूरी रही होगी कि इस सदन का सत्र लगभग सवा महीना या डेढ़ महीना पहले आयोजित करना पड़ा। यह सत्र वर्तमान कांग्रेस सरकार का चौथा शीतकालीन सत्र है। चौथे शीतकालीन सत्र का अभिप्राय यह है कि धर्मशाला में वर्तमान सरकार का यह अंतिम शीतकालीन सत्र है। क्योंकि अगली बार जब विधान सभा का सत्र होगा तब तक हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके होंगे। चुनाव का परिणाम भी आ चुका होगा और नई सरकार का गठन हो चुका होगा। इसलिए अगली बार जब हम नई परिस्थितियों और नए हालात में इस माननीय सदन में मिलेंगे तो परिस्थितियां अलग होंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपने अपने आसन पर बैठकर सदन का बहुत बेहतर ढंग से संचालन किया। विपक्ष के नाते आपसे हमारी अपेक्षाएं रहती हैं कि हमें अधिक समय मिले ताकि हमारे अधिक-से-अधिक माननीय सदस्य अपनी बात रख सकें और हम इस प्रदेश के अधिक-से-अधिक मसलों को सदन में उठा सकें। लोकतंत्र में इन सभी बातों के लिए हमेशा गुंजाइश और पर्याप्त जगह रहनी चाहिए। हम यहां इस माननीय सदन में एक जिम्मेवार

विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए उपस्थित हैं और हमने इस दिशा में प्रयास भी किया है। हमने जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नियम-67 के अंतर्गत प्रस्तुत किया था वह भ्रष्टाचार और 'हिमाचल ऑन सेल' से संबंधित था। आपने इस विषय पर चर्चा स्वीकार की और उसके बाद लगभग चार दिन तक इस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन समय के अभाव के कारण कुछ सदस्य अपनी बात नहीं रख पाए।

मुख्य मंत्री जी ने इस विषय पर उत्तर दिया। यदि हमारे माननीय सदस्यों को बोलने का उचित अवसर दिया होता तो हम मुख्य मंत्री जी के उत्तर को शांतिपूर्वक ढंग से सुनते और उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते। लेकिन जब मुख्य मंत्री जी ने बोलना शुरू किया और आपने उन्हें अनुमति दी तो विपक्ष की दृष्टि से हमें लगा कि यह प्रक्रिया उचित नहीं रही। इस पर हमारा एतराज हुआ और हमने स्वाभाविक

21.11.2026/1305/बी.एस./एच.के.-2

रूप से व्यवधान किया। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि नियम-67 के अंतर्गत जो चर्चा हुई वह सार्थक रही। इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई जिनके बारे में पूरा प्रदेश जानना चाहता है। प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाया गया। लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा होने के बाद जो अपेक्षित उत्तर मिलना चाहिए था वह उस रूप में नहीं मिल पाया। मैं कह सकता हूं कि जो मुद्दे उठाए गए थे उनका सटीक जवाब नहीं आया और उत्तर असंतोषजनक रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस 6 दिन के सत्र में 13 विधेयक यहां पारित हुए हैं। विशेष रूप से मैं कुछ विधेयकों का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री महोदय ने इन विधेयकों को लाने के पीछे अपनी मंशा और भावना सदन के सामने रखी। कुछ विधेयकों के पीछे अच्छी भावना भी रही है। लेकिन कुछ विधेयकों का उल्लेख करना चाहूंगा। विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लॉइज की वरिष्ठता और उनके नियमितीकरण का मामला है। यह मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अंततः सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार के ऊपर एक बड़ी वित्तीय देनदारी आ गई। प्रदेश सरकार को लगा कि इस देनदारी का वहन करना संभव नहीं है। इस पूरे मामले को किस प्रकार टाला जा सकता है

और इसमें देरी कैसे की जा सकती है। इसी उद्देश्य से एक प्रयास किया गया और उसके लिए यह विधेयक लाया गया। मैं समझता हूं कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हित में नहीं था।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

21.11.2026/1310/DT/YK-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

इस पर हमारा एतराज रहा है। हमने सदन में इस विषय पर बोलने और अपनी बात रखने की कोशिश भी की, इसके बावजूद बहुमत के आधार पर आपने विधेयक पारित कर दिया। मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि हम बार-बार इस प्रकार के विधेयक सदन से पारित करके भेजते रहें और वे कानून की नजर में त्रुटिपूर्ण पाए जाएं तथा उसके बाद उनका रिजेक्शन हो जाए तो इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। मुझे लगता है कि यह हम सभी का दायित्व और इस दायित्व हम सभी को ठीक प्रकार से निभाना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। मैंने इस विषय का उल्लेख वहां भी करने की कोशिश की थी लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस पूरे विषय पर गंभीरता से नहीं सुना।

एक अन्य विधेयक टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित है जिसमें वाइस चांसलर की आयु तथा पैनल बनाने की प्रक्रिया पर भी हमारा एतराज है। मैं अब इन सभी विषयों की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार सबकी है। मुख्य मंत्री जी आप हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो हम मुख्य मत्री जी आपकी बात सुनते हैं इसलिए जब हम बोल रहे हैं तो कम-से-कम आप भी हमारी बात सुनें।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, इनके कान आपकी तरफ हैं। बाकी सदस्यों को बीच में नहीं आना चाहिए they should not come क्योंकि वे मुख्य मंत्री जी का ध्यान बांट देते हैं। ...(व्यवधान) नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं है। जब से मैं बोल रहा हूं तब से आप अपने दल के एक-एक माननीय सदस्य को बुलाकर अपनी बात कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं लगता है। आप सभी लोग बाद में चैंबर में मिल सकते हैं और वहां आपस में बैठकर बात कर सकते हैं।

वहां गले मिलकर प्यार से भी बात कर सकते हैं लेकिन यहां सदन की कार्यवाही चल रही है। यहां हमारी बात सुननी ही चाहिए। हम अच्छा बोलें या खराब बोलें लेकिन आपको हमारी बात सुननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अन्य विषय पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। भले ही आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और उसके पास बहुमत है लेकिन हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के माननीय विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को नजरअंदाज किया गया है कि रूटीन के कार्यों को तो छोड़ ही दीजिए उन क्षेत्रों में भी कोई ध्यान

21.11.2026/1310/DT/YK-2

नहीं दिया जा रहा है जहां आपदा के कारण भारी तबाही और बर्बादी हुई है। हम चाहे वर्ष 2023 की बात करें या वर्ष 2025 की उन विधान सभा क्षेत्रों में आज भी ऐसी सड़कें हैं जिन पर पहले गाड़ियां चलती थीं लेकिन अब उन पर आदमी का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। हम बार-बार सदन में इन सभी समस्याओं का उल्लेख करते हैं लेकिन इसके बावजूद सरकार इन कार्यों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं करती है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्षेत्र सत्ता पक्ष के विधायकों के नहीं हैं। इन सभी विषयों को लेकर प्रश्न काल के दौरान नाबार्ड का भी जिक्र हो रहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने विधायक क्षेत्र विकास निधि की आधी राशि ही जारी की है तथा शेष आधी राशि रोकने के आदेश जारी किए हैं। मैं समझ सकता हूं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में विधायकों को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से इस राशि की भरपाई की जा रही है। सत्ता पक्ष का विधायक वहां लिखकर अपनी योजनाओं के लिए पैसा प्राप्त कर रहे हैं। इसके विपरीत हम 20 बार लिख चुके हैं और 20 बार इस विषय को उठा चुके हैं लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। उचित तो यह होगा कि आप विधायकों के हितों की हमेशा पैरवी करते रहें। आप विधायक संस्था (एम0एल0ए0 इंस्टीट्यूशन) को स्ट्रेंथन करने की बात करते रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर भी आपको जरूर विचार करना चाहिए। विधायक संस्था तभी स्ट्रेंथन होगी जब विधायकों को उनके अधिकारों के अनुसार समान रूप से अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में कार्य करने का

अवसर मिलेगा। यह बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी की जाए। इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए उन क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए जहां आपदा के कारण अधिक नुकसान हुआ है। वहां की परिस्थितियां बहुत कठिन और जटिल हैं। मैं इस बात पर विशेष रूप से कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब इस सत्र के अंतिम समय में बहुत-सी अन्य बातों को लेकर चर्चा करना उचित नहीं होगा। एक व्यवस्था से संबंधित मामला आपके पास

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

21.11.2026/1315/वाई0के0/ए0पी0/-01

श्री जय राम ठाकुर जारी .....

आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्रों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वहां की परिस्थितियां बहुत कठिन और जटिल हैं। यह बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब अंतिम समय में बहुत-सी चीजों को लेकर कहना उचित नहीं लग रहा है। एक व्यवस्था से संबंधित मामला आपके पास लंबित है। आप आज उस पर निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। इस पूरे विषय को लेकर मेरा कहने का मतलब यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक हैं। लेकिन हम इस बात का जिक्र राजनीतिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं बल्कि राष्ट्रहित में यह सारी बात कह रहे हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि वह व्यवस्था आपको देनी चाहिए क्योंकि That should not be the part of the record. सेना के खिलाफ की गई टिप्पणी इस सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। इस बात पर आप अवश्य विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर से विपक्ष की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विधायकों ने पूरी ऊर्जा के साथ प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने का अवसर कम मिला लेकिन जब चर्चा में भाग लेने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी बात रखी

है। सत्तापक्ष के साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस बार प्रश्नकाल ज्यादा नहीं हो पाया। पांच दिनों में से केवल एक दिन ही प्रश्नकाल हो पाया। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में मंत्री काफी हद तक राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने की नौबत ही नहीं आई। मैं विधान सभा सचिवालय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सचिव महोदय और उनके साथ विधान सभा सचिवालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं। इस माननीय सदन में विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जबकि हम तो बैठे रहते हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया जगत का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं जो आजकल इस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में थोड़ी कठिनाई में है। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं कुछ लिखने या कहने पर कार्रवाई न हो जाए। आज भी आपने अंतिम दिन कोई टिप्पणी की है कि

21.11.2026/1315/वाई0के0/ए0पी0/-02

कार्रवाई करेंगे। यह कार्रवाई किसके बारे में कही गई है। इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि सब लोग बहुत डरे हुए हैं कि कहीं एफ0आई0आर0 न हो जाए। थोड़ी-बहुत बात ऊपर-नीचे या आगे-पीछे हो जाए तो भी लोकतंत्र में उन्हें थोड़ा बोलने और लिखने देने चाहिए। अच्छा लिखते हैं या बुरा लिखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं भी जब मुख्य मंत्री था तो रोजाना समाचार पत्रों की कटिंग देखता था। उस कटिंग में जो भी विषय होता था, उसका फोटो लेकर उसी समय संबंधित विभाग के सचिव और डायरेक्टर को व्हाट्सएप कर देता था कि देखिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर उसमें कोई बात गलत होती थी या उसे ठीक करने की जरूरत होती थी तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाती थी। लेकिन अगर आपको सुधार करना ही नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यह मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है जो आपको ठीक करेगा और सत्तापक्ष की गलतियों को सुधारने में मदद करेगा। इसके साथ ही विपक्ष भी एक बहुत बड़ा जरिया है जो आपको ठीक रखेगा। अगर विपक्ष और मीडिया नहीं होंगे तो आपको पूछने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए पूछने वाले आदमी की कदर

किया करो। चाहे हम यहां विपक्ष में खड़े हों या मीडिया जगत के लोग वहां खड़े हों, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सबके साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए कि उन्हें दबाव में रखा जाए या प्रभाव में लेकर इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग दबाव में हैं और कुछ लोग प्रभाव में हैं। प्रभाव में होने का मतलब यह है कि आप उनके विज्ञापन रोक देंगे। इन सारी चीजों को लेकर मैं समझता हूं कि ऐसा करना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि आपके साथ उपाध्यक्ष भी होते ताकि आपकी अस्वस्थ होने की स्थिति में वे सदन का संचालन कर सकत थे। लेकिन यहां अभी तक यह व्यवस्था लंबे समय से लंबित है। इस बार सुना था कि विधान सभा में उपाध्यक्ष के पद पर किसी की नियुक्ति होने वाली है। वह नियुक्ति भी नहीं हो पाई। ये सारी चीजें अभी तक कहीं अटकी पड़ी हैं। किसी की कुंडली खराब हो गई है या किसी का कुछ खराब हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर यह व्यवस्था अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, आज इस समापन के अवसर पर मैं सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। कुछ दिनों के बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आप

21.11.2026/1315/वाई0के0/ए0पी0/-03

सबके लिए मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में खुशहाली रहे और यह प्रदेश भी खुशहाली के साथ आगे बढ़े। मैं कह सकता हूं कि इसी सत्र के साथ हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। जब हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो स्वाभाविक रूप से सरकार के ऊपर दबाव ज्यादा होगा और दबाव ज्यादा होगा तो स्वाभाविक रूप से काम करने की दृष्टि से कई चीजें कही जाएंगी कि यह किया जाएगा, वह किया जाएगा। यह स्वाभाविक है कि यह चुनाव का वक्त है, इसलिए यह स्वाभाविक है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

21.11.2026/1320/AT/AG/01

श्री जय राम ठाकुर जारी....

यदि दबाव अधिक हो गया, तो स्वाभाविक रूप से कार्य करने की दृष्टि से कई तरह की बातें कही जाने लगती हैं कि यह किया जाएगा, वह किया जाएगा। यह स्वाभाविक है कि चुनाव का समय नजदीक आ गया है लेकिन चुनावी वर्ष में भी हमें संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी बात रखनी चाहिए और कार्य करना चाहिए। चुनाव के इस वर्ष में प्रतिशोध की भावना से विपक्ष के नेताओं तथा उन लोगों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज करना और उन्हें फंसाने का प्रयास करना उचित नहीं है जो सरकार के विरुद्ध अपनी बात रखते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करना उच्चित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

21.11.2026/1320/AT/AG/02

अध्यक्षः शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में कुल छह बैठकें 16 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक आयोजित हुईं। सदन की कार्यवाही लगभग 24 घंटे तक चली, जिसमें सत्ता पक्ष को साढ़े दस घंटे और प्रतिपक्ष को ग्यारह घंटे सार्थक चर्चा का समय मिला और सदन की उत्पादकता 80 प्रतिशत रही। हमारी 100 प्लस भी रहती है, पर इस बार 80 परसेंट रही। सत्र के प्रथम दिन सदन में वर्तमान विधान सभा सदस्य स्वर्गीय श्री नंदलाल जी तथा स्वर्गीय श्री विजय सिंह मनकोटिया जी, पूर्व सदस्य इस माननीय सदन के थे, को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की गई। धर्मशाला तपोवन हिमाचल प्रदेश विधान सभा का शीत तालीन सत्तर हर वर्ष किसी न किसी विषय के ऐतिहासिक रहा है। इस वर्ष नियम 67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव सरकार ने मंजूर किया और आम सहमति से चर्चा हुई, वह ऐतिहासिक रहा। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने नियम 67 के अंतर्गत सगन प्रस्ताव लाया था, उस पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, जिस पर सरकार द्वारा सदन का काम रोककर चार दिन तक चर्चा की गई, जिसमें तीस माननीय सदस्यों ने बारह घंटे ग्यारह मिनट, सत्तापक्ष के पंद्रह माननीय सदस्यों, प्रतिपक्ष के पंद्रह माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा उपरांत माननीय

21.11.2026/1320/AT/AG/02

मुख्य मंत्री महोदय ने एक घंटे बीस मिनट तक चर्चा का उत्तर दिया। सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से 242 स्टार्ड क्वेश्चन तथा 124 अनस्टार्ड क्वेश्चनों की सूचना पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध कराए गए। सदन ने एक दिन गैर-सरकारी दिवस, दिनांक 19 नवंबर को निर्धारित था जिस पर माननीय सदस्यों ने नियम 101 के अंतर्गत तीन गैर-सरकारी संकल्प चर्चा हेतु निर्धारित थे। जिसमें एक संकल्प पिछले सत्र से स्थगित था लेकिन नियम 67 के प्रोविजन्स के मुताबिक प्रस्ताव पर चर्चा होने के कारण इनमें चर्चा नहीं हो सकी। गैर-सरकारी सदस्य दिवस को सस्पेंड कर दिया गया, जो कि पहली बार हुआ। इसके अतिरिक्त 13 सरकारी विधेयकों को सभा में पुरस्थापित तथा चर्चा उपरांत पारित किया गया। चार विधेयकों पर माननीय सदस्यों के संशोधन भी प्राप्त हुए, सदन में मतदान उपरांत संशोधन अस्वीकार किए गए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक पर सरकार की ओर से संशोधन पेश किया गया। जिसे मतदान के उपरांत स्वीकार किया गया तथा विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया गया। सभा में समितियों के दस प्रतिवेदन

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी.....

21.11.2026/1325/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
माननीय अध्यक्ष .... जारी

सभा में समितियों के 10 प्रतिवेदन उपस्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज सभा पटल पर रखे गए तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिए गए। माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के उपरांत 4 विधेयक माननीय सदन द्वारा पारित किए गए थे जिन्हें सचिव, विधान सभा द्वारा सदन के पटल पर रखा गया। इस वर्ष विधान सभा के 3 सत्रों में कुल 35 बैठकें आयोजित करने का प्रावधान

था। हालांकि माननीय सदन की अनुमति से कुछ बैठकों से छूट प्रदान किए जाने के उपरांत कुल 32 बैठकें ही आयोजित हो पाईं।

सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सदन की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। इसके लिए मैं सदन के नेता मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर का धन्यवाद करता हूं। साथ-ही-साथ मैं उप-मुख्य मंत्री महोदय, संसदीय कार्य मंत्री महोदय तथा सभी मंत्रीगण का भी सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान बहुमूल्य सुझाव दिए। मैं सभापति तालिका के माननीय सदस्य श्री संजय रत्न का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं जो सभापति तालिका में चेयरमैन भी हैं। उन्होंने सदन की कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। मैं प्रदेश सरकार, विधान सभा तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने दिन-रात कार्य करके इस सत्र से संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया।

मैं पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विधान सभा में हमारे मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, विधान सभा के अधिकारियों तथा प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

21-11-2-2026/1330/NS-AS/1

अध्यक्ष ------जारी

मैं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पूर्व मैं सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करूं, मैं सभा में उपस्थित

सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रगीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रगीत गाया गया)

इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले मैं सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदन की ओर से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष हम सबके जीवन में खुशियां लेकर आए और हम सभी अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ें।

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांकः 21 नवम्बर, 2026 **सचिव।**